सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस डालर

चेक / ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

जूलाई, 2011 वर्ष 10 अंक 05

सहाबा रज़ि०

सहाबा नबी के हैं, दीनी मताअ
सितारे हैं, उनसे करो इन्तिफाअ
ख़ुदा उनसे राज़ी वो राज़ी ख़ुदा से
ये क़ुर्आ ने दी है हमें इत्तिलाअ
मिसाली महब्बत थे रखते नबी से
ज़मीं पे था उनका अजब इज्तिमाअ
करो पैरवी तुम सहाबा की दिल से
हैं मतबुअ उनका करो इत्तिबाअ
दुरूद व सलाम अपने प्यारे नबी पर
सहाबा पे भी और आले नबी पर

इदारा

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
परीक्षा तथा दण्ड	डॉ हारून रशीद सिद्दीक़ी	6
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	8
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी	9
अच्छे लोगों की संगत और उसका प्रभाव	मौ0 सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी	13
मुस्लिम समाज	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	16
रसूलुल्लाह सल्ल0 से मुहब्बत का तक़ाज़ा	मौ0 सैय्यद हम्ज़ा हसनी नदवी	18
आदर्श शासक	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	19
कैसे मिटे भ्रष्टाचार जब	विद्या प्रकाश	20
आइन–ए–हिन्द	शाहिद जुबैरी	23
ज़बान व सक़ाफत की हिफाज़त	डॉ हारून रशीद सिद्दीक़ी	26
हज़रत नाज़िम साहब की रिपोर्ट		28
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन	मौ0 मुहम्मद सानी हसनी रह0	32
मुसलमानों की मिल्ली तअमीर	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	33
शहद	इदारा	39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर—ए—बक़रह

अनुवाद : और जब कहा कि दाखिल हो इस शहर में[1], और खाते फिरो उसमें जहाँ चाहो फराग़त से, और दाखिल हो दरवाज़े में सज्दा करते हुए[2], और कहते जाओ कि बख़्श दे, तो माफ कर देगें हम तुम्हारे कुसूर, और ज़्यादा भी देंगे नेकी करने वालों को[3(58)], फिर बदल डाला ज़ालिमों ने बात को खिलाफ उसके, जो कह दी गई थी उनसे, फिर उतारा हमने ज़ालिमों पर अज़ाब आसमान से, आदेशों को न मानने के कारण[4(59)]। और जब पानी माँगा मूसा ने अपनी क़ौम के लिए, तो हमने कहा कि मार अपने असा (डण्डे) को पत्थर पर, अतः उससे बारह स्रोत (चश्मे) बह पड़े[5], पहचान लिया हर क़ौम ने अपने घाट को, अल्लाह की रोज़ी से खाओ पियो और न फिरो मुल्क में फसाद मचाते हुए[6(60)]।

तफ़्सीर (व्याख्या)

1. जब वह वर्णन किये गए जंगल में फिरते—फिरते तंग आ गए और मन व सलवा खाते—खाते उकता गए तो बनी इसराईल को एक शहर में दाखिल होने का आदेश हुआ, उसका नाम अरीहा था, उसमें अमालक़ा नामक क़ौम थी जो आद क़ौम से थी, रहती थी, और कुछ ने बैतुल मक़दिस कहा है।

2. इस शहर के दरवाज़े में से शुक्र का सज्दा करते हुए जाओ (और ये शुक्र बदनी हुआ) और कुछ कहते हैं कि बराहे तवाजु (नम्रता) कमर को झुका कर जाओ।

3. और ज़बान से अपने गुनाहों की मुआफी माँगते हुए जाओ (ये शुक्र ज़बानी हुआ) जो ये दोनों बातें करेगा उसकी ख़ता हम मुआफ कर देंगे और नेक बन्दों के लिए सवाब बढ़ा देंगे।

4. परिवर्तन ये किया कि बजाए "हित्तह" कहने के मजाक उड़ाने के लिए "हिन्ततह" (यानि गेहूँ कहा) और सज्दों की जगह अपने नितम्बों पर फिसलना शुरु किया, जब वह शहर में पहुँचे तो ताऊन (फ्लैग) की बीमारी ने उन्हें धर दबोचा और दोपहर में ही सत्तर हज़ार यहूदी मर गए।

5. ये घटना भी उसी जंगल की है कि जब पानी न मिला तो एक पत्थर पर असा (डण्डा) मारने से बारह चश्मे (स्रोत) निकले और बनी इसराईल के क़बीले भी बारह थे। किसी क़ौम में आदमी ज़्यादा तो किसी क़ौम में कम होते थे, उसी के अनुसार एक चश्मा (स्रोत) होता था और यही उनकी पहचान थी या ये तय कर रखा था कि अमुक छोर से जो पानी निकलेगा वह अमुक समुदाय (क़ौम) का होगा।

6. अर्थात फिर अल्लाह ने कहा कि चश्मों (स्रोतों) से पानी पियो और दुनिया में फसाद मत फैलाओ। ❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मुसाफा (हाथ मिलाने) का बयान

—अनु0 एन0एस0 अब्बासी नदवी

—अमतुल्लाह तस्नीम

मुसाफा का चलन

हज़रत अबुल खत्ताब कतादा रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने अनस रज़ि0 से पूछा कि आप सल्ल0 के सहाबियों में मुसाफा का चलन था? उन्होंने कहा हाँ।

(बुखारी)

आने वाले से मुसाफा

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि हजरत मुहम्मद सल्ल0 ने फरमाया तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं और आने वालों में ये लोग मुसाफा के ज़ियादा मुस्तहिक़ (पात्र) हैं।

(अबुदाऊद)

मुसाफा का सवाब

हज़रत बरा रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में मिलें और मुसाफा करें तो उन दोनों के गुनाह जुदा होने से पहले बख़्श दिये जाएंगे।

(अबुदाऊद)

मुलाकात का सुन्नत तरीक़ा

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0! अगर कोई आदमी अपने भाई या दोस्त से मिले तो क्या उसके सम्मान हेतु झुक जाए? फरमाया नहीं। कहा क्या उसको लिपटाए और उसको चूमे? फरमाया नहीं। पूछा क्या उसका हाथ पकड़ कर मुसाफा कर ले? फरमाया हाँ।

(तिर्मिज़ी)

हाथ चूमना

हज़रत सफवान रज़ि0 से रिवायत है कि एक यहूदी ने अपने साथी से कहा कि आओ नबी सल्ल0 के पास चलें, फिर वह दोनों हज़रत मुहम्मद सल्ल0 की सेवा में उपस्थित हुए और नौ निशानियों के सम्बन्ध में प्रश्न किया[1] (फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की कि दोनों ने आपके पवित्र हाथ व पैर को चूमा और कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप नबी हैं)। (तिर्मिज़ी)

हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि हम हज़रत मुहम्मद सलल0 की सेवा में उपस्थित हुए और हमने आपके हाथ को चूमा।

आने वाले से गले मिलना

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि ज़ैद बिन हारिस रज़ि0 मदीने आए। आप सल्ल0 मेरे घर में मौजूद थे। ज़ैद रज़ि0 दरवाज़े पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। आप सल्ल0 उनकी ओर चले और आप सल्ल0 अपने कपड़े खींचते हुए चले जा रहे थे, फिर आप सल्ल0 ने उनको गले लगाया और चूमा[2]। (तिर्मिज़ी)

खुशदिली से मिलने की फज़ीलत

हज़रत अबूज़र से रिवायत है कि आप सल्ल0 ने फरमाया कि नेक काम में थोड़े काम को तुच्छ न समझो, चाहे अपने भाई से खुशदिली से मिलो।

(मुस्लिम)

---

1. अर्थात हज़रत मूसा अ0 से हुए नौ चमत्कार (मोजज़ा) के सम्बन्ध में प्रश्न किया।

2. इससे मालूम हुआ कि जब कोई सफर से आए तो उससे गले मिलना, चूमना जाएज़ है।

बच्चों को प्यार

हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि आप सल्ल0 ने हारून बिन अली रज़ि0 को चूमा। अक़रा बिन हाबिस रज़ि0 (जो मौजूद थे) ने कहा कि मेरे दस बेटे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं चूमा। आप सल्ल0 ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।

(बुखारी–मुस्लिम)

अयादत (मिज़ाजपुर्सी) की फज़ीलत

मुसलमानों के अख़लाक़ और इस्लाम की सात हिदायतें– हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने हमको मरीज़ की मिज़ाजपुर्सी, जनाज़े में शिरकत और छींक का जवाब देने, कसम देने वाले की कसम पूरी करने, मज़लूम की मदद करने, दावत कुबूल करने, और सलाम को आम करने का हुक्म दिया है।

(बुखारी–मुस्लिम)

मुसलमानों के हुकूक़

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फरमाया कि मुसलमान पर मुसलमान के पाँच हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की मिजाज़पुर्सी, जनाज़े के साथ चलना, दावत कुबूल करना, छींक का जवाब देना।

बन्दे से खुदा का सम्बन्ध

हज़रत अबुहुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा कि ऐ आदम के बेटे! मैं बीमार हुआ तू ने मेरी मिजाज़पुर्सी न की।

बन्दा : ऐ मेरे परवरदिगार! तू तो सारे जहाँ का पालने वाला है तेरी मिजाज़पुर्सी कैसे करता?।

अल्लाह : क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरा फलाँ बन्दा बीमार हुआ, तू ने उसकी अयादत (मिजाज़पुर्सी) नहीं, की अगर तू उसकी मिजाज़पुर्सी के लिए जाता तो तू मुझे उसके पास पाता।

अल्लाह : ऐ बन्दे! मैंने तुझ से खाना माँगा और तूने मुझको न खिलाया।

बन्दा : ऐ मेरे रब! भला मैं तुझको खाना कैसे खिलाता तू तो सारे जहाँ का रब है।

अल्लाह : तुझे ख़बर नहीं कि मेरे फलाँ बन्दे ने तुझ से खाना माँगा था तो तू ने उसे न खिलाया, अगर तू उसको खिला देता तो तू मुझे उसके पास पाता।

अल्लाह : ऐ आदम के बेटे! मैंने तुझसे पानी माँगा, तू ने मुझे पानी न पिलाया।

बन्दा : ऐ मेरे रब! तू तो सारे जहाँ का पालने वाला है मैं तुझको पानी कैसे पिलाता?

अल्लाह : मेरे फलाँ बन्दे ने तुझसे पानी माँगा था, तो तू ने न पिलाया, समझ ले कि अगर तू उसको पानी पिला देता तो तू मुझे उसके पास पाता।

(मुस्लिम)

❑❑

अनुरोध

पाठक गण लेखक जनों से अनुरोध करते हैं कि वे सच्चा राही को और सरल करें।

धन्यवाद

परीक्षा तथा दण्ड

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

परीक्षा से हमारी मुराद किसी कोर्स की परीक्षा नहीं है अपितु जीवन परीक्षा मुराद है। इस सांसारिक जीवन में मनुष्य कुछ कठिनाइयों से दो–चार होता है। कभी खेती बरबाद हो जाती है, कभी बाग़ के फल किसी रोग से ख़राब हो जाते हैं और फल नहीं मिलते। मनुष्य इन चीज़ों में हानि से दो–चार होता है। कभी सूखा पड़ जाता है, खाने को अनाज नहीं मिलता, बड़ी परेशानी का सामना होता है, कभी बड़ी बीमारी आई, जानवर मर गये, बड़ा नुक़सान हुआ। कभी लड़के, बच्चे बीमार होकर मर गये, कभी खुद या घर में लड़का बीमार हुआ, कभी बीमारी ऐसी लग गई कि जिस का इलाज न हो सके जैसे कैन्सर आदि।

कभी चोरों ने घर का सामान लूट लिया और धनवान को फक़ीर बना दिया, कभी दुश्मन ने हमला किया, मारा पीटा भी और माल–दौलत उठा ले गए, कभी आग लगी सब गृहस्थी जल गई, कभी किसी अत्याचारी दुश्मन ने हमला कर के हत्या कर डाली।

यह वह मुसीबतें हैं जिन से मनुष्य इस संसार में दो–चार होता है। यूँ तो जो भी मुसीबतें आती हैं वह सब अल्लाह ने लिख रखी हैं। इस धरती पर जो भी मुसीबत आती है या किसी जान को पहुँचती है वह अल्लाह ने पहले से लिख रखी है। (देखिये सूर–ए–हदीद की आयत नं0 22 का तर्जुमा)। इस संसार की ये जो मुसीबतें आती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक वह हैं जो अल्लाह तआला अपने प्रिय बन्दों की जाँच के तौर पर देता है। अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में बताया है "क्या लोग यह सोचतें हैं कि वह कहें कि हम ईमान लाये फिर जाँचे न जाए ऐसे ही छोड़ दिये जायें" (सूर अनकबूत आयत 2–3 का तर्जुमा) एक जगह तो फरमाया "हम तुम को अवश्य जाँचेंगे कभी डर से, कभी भूख से कभी माल के नुक़सान से, कभी फलों के नुक़सान से, कभी जान के नुक़सान से" फिर अपने नबी सल्ल0 से फरमाया कि आप खुशख़बरी दीजिये उन लोगों को जो मुसीबत आने पर मुझे पुकारते हैं कि हम तो अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौट जाएंगे। जो भी मुसीबत आई वह आरज़ी है। जब हम खुद ही यहां न रहेंगे तो आई हुई मुसीबत कहां रहेगी (देखिए सूर–ए–बक़रा की आयत नं0 156 का तर्जुमा) एक जगह फरमाया "कोई भी मुसीबत अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं आती पस जो ईमान वाले हैं उनके दिल को इतमिनान हो जाता है और वह जान लेते हें कि यह तो अल्लाह ही की ओर से है"।

(देखिए तग़ाबुन आयत नं0 11)

इस संसार में मुसीबतें उन पर भी आतीं हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं तमाम गुनाहों से बचते हैं, हालांकि अल्लाह के प्रिय बन्दे हैं, अल्लाह के रसूल के चहेते हैं, देखिये हुज़ूर के चचा हजरत हमजा रज़ि0 को शहीद किया गया, आपका पेट फाड़ा गया,

मऊना कुंवे वालों को घेर कर मार दिया गया, हज़रत बिलाल रज़ि0 हज़रत ख़ब्बाब रज़ि0, हज़रत सुमय्या रज़ि0 और उन के घर वालों को कैसी कैसी तकलीफें पहुँचाई गई, हज़रत उमर रज़ि0 को ऐन नमाज़ में ख़ंजर मारा गया, हज़रत उस्मान रज़ि0 को रोज़े की हालत में कुर्आन पढ़ते हुए शहीद किया गया, हज़रत अली रज़ि0 को नमाज़ के लिए जाते हुए रास्ते में शहीद किया गया, हज़रत हुसैन रज़ि0 को उनके साथियों के साथ शहीद किया गया। अल्लाह इन तमाम सहाब से राज़ी हुआ। यह सब अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के रसूल सल्ल0 के महबूब थे, सब के सब सच्चे–पक्के ईमान वाले थे इन पर जो मुसीबतें आईं इनको आज़माईश कहेंगे, परीक्षा कहेंगे, इन सारी मुसीबतों के साथ यह सब अपने रब के रास्ते पर जमे रहे। अल्लाह हम सब को हर हालत में अपने दीन पर जमाए रखे। आमीन!

जो मुसीबतें उन पर आईं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते या ईमान तो लाये मगर बार–बार अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, उनकी मुसीबतों को सांसारिक दण्ड कहेंगे, यह दण्ड जो ईमान वाले नाफरमानों को मिलता है, यह दण्ड कभी उनके गुनाहों का कफ्फरा हो .जाता है जिसका उद्देश्य उनको सचेत करना होता है और उनको गुनाहों से तौबा की तौफीक़ मिल जाती है।

ईमान न लाने वालों को जो कष्ट यहां पहुँचता है उनके लिए वक़्ती दण्ड है, अगर वह ईमान लाये बिना मर गये, मरने के पश्चात जो सदा रहने वाला जीवन आयेगा उसमें उनको जो दण्ड मिलेगा, वह दण्ड सदा रहने वाला होगा लेकिन जो मरने के पश्चात के जीवन को मानता ही नहीं वह उस जीवन के दण्ड से भयभीत नहीं है जबकि मरने के पश्चात का जीवन एक सत्य है जिसे झुठलानेवाला, उसके मरने के पश्चात जान लेगा परन्तु उस समय जानने का कोई लाभ न होगा।

हम ईमान वाले भाईयों को समझाएं और खुद भी इस बात को सामने रखें कि इस जीवन में जो कठिनाईयाँ आएं उनको अपने पापों के सबब से समझें और अपने पापों से तौबा करें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि वह अपने दीन पर हर हाल में जमाए रखे। जो लोग ईमान नहीं लाए उनके सामनें यह बात बार–बार रखें, और रखते रहें कि इस जीवन के पश्चात क़ियामत तक क़ब्र (आलमे बरज़ख़) का जीवन है फिर जन्नत या जहन्नम का सदैव का जीवन है।

जो अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल0 पर ईमान लायेगा वह उस जीवन में अल्लाह की रजा (प्रसन्नता) और उसका पुरस्कार जन्नत के रूप में पाएगा। जो ईमान न लाएगा वह सदैव जहन्नम में जलेगा, यह एक सत्य है जिसका जी चाहे इस सत्य को मान कर लाभ उठाए। जो न माने तो वह जाने लेकिन् जो सत्य है वह कह किया गया। रब का यही आदेश है कि कह दो कि यह दीन सत्य है, ईश्वर (अल्लाह) की ओर से है, जिसका मन चाहे मान कर लाभ उठाए या न मानकर सदैव का कष्ट झेले, (देखिये सुर–ए–कहफ़ आयत नं0 29–30 का तर्जुमा)।

❖❖❖

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद गुफरान नदवी

कुरैश चुँकि वास्तव में अल्लाह ही को सब से बड़ा मानते थे, बाद में बाहर से आए हुए ख़्यालात और उनसे पड़ने वाले प्रभाव के नतीजे में वह अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक़ करने लगे थे और होते–होते ये खुला हुआ शिर्क उनमें आम हो गया था, लेकिन अब जबकि कुरैश हूज़ूर सल्ल0 को नबूवत का मुक़ाम मिलने और शिर्क़ छोड़ने की दअ़वत देने से पहले ही से एक उच्चतर गुणों का और सच्चा व ईमानदार और अच्छा इन्सान समझते और मानते थे, तो अब उनकी तरफ़ से ऐसी बात जो उनके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अ0 की दअ़वत से हम आहंग (समान) थी, मानने में क्या दुश्वारी थी? इसी प्रकार आख़िरत का अक़ीदा कि इस ज़िन्दगी के बाद दूसरी ज़िन्दगी होगी, और उसमें अच्छे और बुरे कामों का हिसाब होगा और सज़ा व जज़ा (बदला) मिलेगी, उसकी ख़बर भी कुरैश को उसका यह सच्चा और उच्च विशेषताओं और उच्च आचरण वाला अद्वितीय इन्सान दे रहा है और यह बात ज़रा सा भी ग़ौर करने से माकूल (उचित) भी समझी जा सकती थी, तो कुरैश के लिये माकूल रवैया यही था कि इन बातों का इन्कार न किया जाए। लेकिन कुरैश एक तो अपने बाप दादा से चले आये तरीक़ों के तअस्सुब (पक्षपात) में और कुछ लोगों ने मुहम्मद सल्ल0 की मकबूलियत (लोकप्रियता) को देख कर उसके हसद में उन बातों के सुनने से भी इन्कार कर दिया और कह दिया कि तुम कौन हो हम को नसीहत करने वाले?।

हमारा कोई बड़ा सरदार ऐसी कोई बात कहता तो उसका हक़ बनता था, तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? हम अपने बाप दादा के जिस तरीक़े पर चलते रहे हैं वही करेंगे। और जब हुज़ूर सल्ल0 ने इस पर ज़ोर दिया कि हम तो कह रहे हैं नबी होने के तअल्लुक़ से, वह अपने मूरिसे आला (मूलपुरुष) हज़रत इब्राहीम अ0 ही की बात के मुताबिक़ और उसी काबा के रब की तरफ़ से आए हुए पैग़ाम के तहत कह रहे हैं और उसी पर अल्लाह तआला की तरफ़ से चलने का हुक्म ख़ुद हुज़ूर सल्ल0 को हुआ है।

"कि इब्राहीम अ0 का तरीक़ा इख़्तियार करो और वह शिर्क करने वाले नहीं थे" (सूरः नहल–123)

लेकिन कुरैश ज़िद पर आ गए और इन्कार ही करते रहे, तौहीद और नेक बातों के लिये अपनी लोकप्रियता को छोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि उनसे हटना वह अपनी नख़वत (अभिमान) और खुद पसन्दी के खिलाफ मानते थे और कहते थे कि हम अपने इख़्तियार किये हुए और पहले से चले आ रहे तरीक़े और अक़ीदे को कैसे छोड़ें? इसी के साथ–साथ चूँकि अरबी मिज़ाज सादा और हक़ीक़त पसन्दाना था इसलिए अपनी जिद और मुखालिफत के बावजूद जब बराहेरास्त (प्रत्यक्ष) कुर्आन मजीद की आयतें सुन लेते और ख़ुद नबी सल्ल0 की बात खुले ज़ेहन से सुन लेते थे, तो मान लेते थे, क्योंकि कुर्आन मजीद की आयतों को सुनकर उनका ज़ेहन इस बात का यक़ीन कर लेता था कि यह इन्सानी कलाम नहीं हो सकता और जब खुले ज़ेहन से उसको सुन लेते तो मान लेते कि यह इन्सान से ऊपर वाले का ही कलाम है लिहाजा यह खुदा ही की तरफ़ से होगा और ईमान ले आते।

❖❖❖

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ़्ती मुहम्मद जफ़र आलम नदवी

प्रश्न : बियर के बारे में आज कल मुसलमानों के बीच मुख़्तलिफ ख़्यालात पाए जाते हैं, कुछ लोग उसे हलाल और दुरुस्त समझते हैं और कुछ लोग उसे शराब समझते हैं, और हराम क़रार देते हैं। आम तौर पर लोग इस बारे में तज़बजुब के शिकार हैं, शरई नुक़्त–ए–नज़र से आगाह करें कि इस का क्या हुक्म है ?।

उत्तरः बियर के बारे में तहकीक यह है कि शराब की एक किस्म है जो लोग इससे पूरी तरह वाकिफ हैं, उनका कहना यह है कि यह शराब ही है, बस फर्क इतना है कि बियर में आम शराब के मुकाबले में अल्कोहल की मिक्दार कम होती है इसी लिए जो लोग नशे के आदी नहीं होते हैं उन पर नशे की कैफियत ज़ियादा होती है और जो इसके नशे के आदी होते हैं उनको थोड़ी मिक़्दार पीने से नशा नहीं होता। उनको नशे के लिये बियर ज़ियादा मिक़्दार में पीना पड़ेगी। इससे मालूम हुआ कि बियर नशाआवर है। चाहे कम इस्तेमाल हो चाहे ज़ियादा हर हाल में यह हराम है। हदीस में आता है कि जिस चीज़ की कसीर मिक़्दार नशा का सबब हो उसकी कलील मिक़्दार भी हराम है। हदीस के इस बयान से वाज़ेह हो जाता है कि जो चीज़ कसीर मिक़्दार में इस्तेमाल करने से नशा पैदा कर दे उसकी थोड़ी मिक़्दार भी हराम होगी। बियर में ऐसा ही होता है, यह नशाआवर है इसलिए शरीअत की रु से यह शराब में शामिल है और इस का पीना हराम है।

प्रश्नः एक शख़्स की सूदी रक़म बैंक में पड़ी थी उसने एक ग़रीब लड़की की शादी में यह रक़म दे दी अब लड़की के वालिद चाहते हैं कि वह रक़म देने वाला भी इस शादी की तक़रीब और दावते तआम में शरीक़ हो हालांकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि इस दावत में सर्फ होने वाली रक़म सूदी है और उसका इस्तेमाल उनके लिए जाइज़ नहीं है क्या उसके लिये इस दावते तआम में शरीक़ होना शरीअत की रू से जाइज़ है?।

उत्तरः सूदी रक़म माले हराम है इस का जरूरत मन्दों पर खर्च करना वाजिब है, यह रक़म जब जरूरतमन्द ग़रीब को दे दी गई तो उसके हक़ में यह सदक़ा करार पाई और सदक़े का हुक़्म यह है कि वास्ता बदल जाने से माल का हुक़्म बदल जाता है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 एक बार अपनी ख़ादिमा हज़रत बरीरा रज़ि0 के यहां तशरीफ ले गये वह गोश्त पका रही थीं उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल0 के सामने खाना पेश किया लेकिन उसमें गोश्त नहीं था आप सल्ल0 ने वजह दरयाफ़्त की तो उन्होंने अर्ज़ किया कि यह गोश्त सदक़े का है। आप रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सदक़ा है लेकिन जब तुम मुझको खिलाओ तो हदिया है। (सही बुख़ारी)। आप रसूलुल्लाह सल्ल0 के इस बयान किये हुए उसूल के पेशे नज़र किसी ग़रीब और मुस्तहिक शख़्स को सूद की रक़म दे दी जाए और उससे वह

दअ़वत का इन्तिज़ाम करके दूसरों को खिलाए तो इसकी गुंजाइश है। लिहाजा मज़कूरा सूरत में उन रक़म देने वाले शख़्स के लिये इस दावत में शिरकत करना और खाना दुरुस्त है लेकिन एहतियात यह है कि रक़म देने वाला खुद न खाए।

प्रश्नः ज़ैद एक सरकारी सर्विस में हैं, सरकारी कानून के मुताबिक़ वह अपनी तनख़्वाह से कुछ रक़म जनरल प्राइवेट फण्ड (जी0पी0एफ0) में और कुछ पब्लिक प्राइवेट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा करता है इस पर उसे जाइद रक़म रिटायरमेण्ट के वक़्त मिलेगी और यह जाइद रक़म शरहे सूद सालाना की वजह से है। यह जाइद रक़म लेना क्या इस्लाम में जाइज़ है?।

उत्तरः वह फण्ड जो ग़ैर इख़्तियारी हो यानी हुकूमत या कम्पनी मुलाज़िम की मर्जी के बिना काट लेती है और फण्ड में जमा कर देती है और रिटायरमेन्ट के वक़्त अपने लिहाज से सूद मिलाकर ज़ियादा देती है वह जाइज है लेकिन जो रक़म अपने इख़्तियार से जमा की जाती है और रिटायरमेन्ट के वक़्त ज़ियादा कर के दी जाती है जैसा कि जी0पी0एफ0 और पी0पी0एफ0 में होता है वह ज़ाइद रक़म सूद है और शरीअ़त में सूद हराम है। जो रक़म मुलाज़िम की ग़ैर इख़्तियारी तौर पर लाज़िमन जमा हो जाती है उस पर कम्पनी या हुकूमत जो सूद देती है वह मुलाज़िमत का बदल है और जाइज़ है।

प्रश्नः कुछ लोग इपनी कीमती चीज़ लाटरी से बेचते हैं जैसे दस हज़ार की चीज़ है तो बहुत लोगों को सौ रूपया का टिकट बेच देते हैं और कहते हैं कि कुरा में तुम्हारा नाम निकल आएगा तो दस हज़ार की चीज़ सौ रूपया में पा जाओगे इसका शरीअ़त में क्या हुक़्म है?।

उत्तरः यह खुला हुआ जुआ है और नाजायज़ है।

प्रश्नः आज कल गाड़ी खरीदने में नक़्द पैसा देने पर जो क़ीमत उसकी होती है उधार किस्त पर लेने पर कई हज़ार रूपया ज़ियादा देना पड़ता है इस तरह उधार गाड़ी लेना शरीअ़त में कैसा है ?

उत्तरः नक़द गाड़ी लेने में कई लाख रूपये अदा करना होता है इस सूरत में हुकूमत पूछती है कि यह पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया इससे बचने के लिए लोग गाड़ियाँ उधार लेते हैं, लेकिन यह मालूम रहना चाहिए कि कम्पनी गाड़ी उधार नहीं बेचती बल्कि कोई बैंक बीच में आता है और ज़मानत पर कम्पनी को पेमेन्ट कर देता है और दी हुई रक़म पर सूद लगा कर किस्त बना देता है इसलिए इस तरह की रक़म उधार लेना कि सूद देना पड़े जायज़ नहीं गाड़ी ऐसी जरूरी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए सूद देने की इजाज़त हो। जिसके पास नं0 1 का पैसा हो वही गाड़ी खरीदे।

प्रश्नः एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति इलाज के लिए आता है। इलाज के लिए कराये गये टेस्ट में डॉक्टर को यह बात मालूम होता है कि वह व्यक्ति नपुंसक है या उसमें कोई ऐसी कमी है, जिसके कारण उसका निकाह सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर को यह भी मालूम है कि यह व्यक्ति किसी औरत से निकाह की बातचीत कर रहा है और अपनी कमी को छिपाकर निक़ाह कर लेना चाहता है। या कोई औरत जो किसी डॉक्टर से इलाज करा रही है, उसे कोई ऐसी बीमारी है, जिससे अवगत हो जाने के बाद उसका निकाह मुश्किल हो सकता है और वह औरत अपनी इस बीमारी को छिपा कर निकाह कर लेना चाहती

है। निकाह की बात डॉक्टर की जानकारी में आ चुकी है।

इन दोनों हालतों में डॉक्टर को क्या करना चाहिए? क्या उसे दूसरे पक्ष को अपने रोगी के रोग से अवगत करा देना चाहिए? या अगर डॉक्टर के पास दूसरा पक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आता है, तो डॉक्टर का रवैया क्या होना चाहिए?

उत्तरः बतायी गयी दोनो हालतों में डॉक्टर को चाहिए कि वह दूसरे पक्ष को अपने रोगी के बारे में सही जानकारी दे दे। निकाह चुँकि किसी व्यक्ति का निजी मामला नहीं है, इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए डॉक्टर के लिए जायज है कि वह एक परिवार को नुकसान से बचाने के लिए सही हालत से दूसरे पक्ष को अवगत करा दे।

अगर दूसरा पक्ष डॉक्टर से उस रोगी के बारे में जानकारी लेने के लिए आता है, तो डॉक्टर के लिए सही जानकारी देना वाजिब है।

प्रश्नः एक व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसकी दृष्टि बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है डॉक्टर की राय में उसका गाड़ी चलाना उसके और दूसरे लोगों के लिए घातक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर डॉक्टर के मना करने के बावजूद गाड़ी चलाता है, तो क्या डॉक्टर का दायित्व है कि वह सम्बन्धित विभाग को इसकी जानकारी दे दे और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद् कराने की सिफारिश करे?

यह प्रश्न तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह व्यक्ति गाड़ी चलाने की नौकरी करता हो। बस आदि चलाता हो। अगर डॉक्टर सम्बन्धित विभाग को सूचित नहीं करता तो बहुत से लोगों की जान को ख़तरा है। सूचित कर देने की स्थिति में उस व्यक्ति की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और उसके घर वाले बड़ी परेशानी में पड़ जाएगें।

उत्तर : फिक़्ह के सर्वमान्य नियमों में ये एक है– "आम नुक़सान को दूर करने के लिए खास नुकसान बर्दाश्त किया जाएगा"। इस नियम की पुष्टि कुर्आन और हदीस से भी होती है। इसका मतलब यह है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को बर्दाश्त किया जाना चाहिए।

डॉक्टर की ओर से दी जाने वाली सही जानकारी ड्राइवर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा न करने से आम लोगों को जो बड़ा नुकसान पहुँच सकता है, उसका ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। अतः इन हालात में डॉक्टर पर वाजिब है कि वह सम्बन्धित विभाग को सही जानकारी दे दे।

उस ड्राइवर के बारे में भी यही आदेश है जो बहुत ज़्यादा नशा करने का आदी है और डॉक्टर के मना करने के बावजूद वह नशा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में भी डॉक्टर पर वाजिब है कि वह सम्बन्धित विभाग को ड्राइवर के नशे की आदत की सूचना दे दे। (जदीद फ़िक़्ही मसाइल, भाग–5 से)

प्रश्नः एक शख़्स की बीवी का इन्तिकाल हो गया उसने एक लड़का असलम नाम का छोड़ा। शख़्स मज़कूर ने एक बेवा से दूसरी शादी की, दूसरी बीवी अपने पहले शौहर से पैदा एक लड़की तय्यिबा साथ लाई, सवाल यह है कि क्या असलम का निकाह तय्यिबा से हो सकता है?

उत्तरः असलम और तय्यिबा की माएं भी अलग–अलग हैं और बाप भी अलग–अलग हैं इसलिए दोनों का निकाह दुरुस्त होगा।

प्रश्नः निकाह के लिए लड़की से इजाज़ के लिये तीन ना महरम मर्द औरतों में आकर लड़की से निकाह की इजाज़त मांगते हैं इसका क्या हुक्म है?

उत्तरः निकाह के लिए आक़िल (बुद्धिमान) बालिग़ लड़की से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है उसकी इजाज़त के बिना तो निकाह हो ही नहीं सकता लेकिन इजाज़त लेने का रवाजी तरीक़ा बहुत गलत है अगरचि इस तरह इजाजत से भी निकाह हो जाएगा लेकिन अच्छा तरीका यह है कि, निकाह से दो चार रोज़ पहले लड़की का बाप, बाप न हो तो दादा, यह दोनों न हों तो जो करीबी वली हो घर के लोगों के सामने लड़की से कहे कि मैं तुम्हारा निकाह फलां इब्नि फलां से करने जा रहा हूँ अगर तुमको इत्तिफाक़ है तो मुझे इजाज़त दो। अब अगर कुवाँरी लड़की ज़बान से इजाज़त नहीं दे बल्कि खामोश रहती है तो इजाज़त हो गई लेकिन अगर तलाक़ पाई हुई है या बेवा है तो ज़बान से इजाज़त देना ज़रूरी है अगर लड़की पढ़ी है तो बेहतर है कि उससे लिख कर इजाज़त लेलें, अगर वह सिर्फ दस्तखत कर देती है तो इजाज़त हो गई। लड़की से इजाज़त लेंने के वक्त गवाहों की कोई जरूरत नहीं लेकिन अच्छा यही है कि गवाह हों ताकि मुकद्मा वगैरह की सूरत में लड़की के इन्कार पर वह गवाही दे सकें। अगर गवाह ना महरम हों तो परदे का लिहाज़ ज़रूरी है।

प्रश्नः निकाह किस को पढ़ाना चाहिये?

उत्तरः लड़कें के उस वली को पढ़ाना चाहिये जिसने लड़की से इजाज़त ली है वही लड़की का वली है लेकिन अगर वह चाहे तो किसी बुजुर्ग या आलिम या कारी को इजाज़त देदे और वह निकाह पढ़ा दे यानी खुत्बा पढ़ कर ईजाब व कबूल करा दे तो यह भी दुरुस्त है।

प्रश्नः हमारे यहां रवाज है कि निकाह से पहले दूल्हे को सातों कल्मे या पांच कल्मे या तीन कल्मे या कम से कम शहादत का कल्मा पढ़ाया जाता है इसका क्या हुक्म है?

उत्तरः अगर दूल्हा दुल्हन या उनमें से कोई बे नमाज़ी है तो बेहतर है कि निकाह से पहले बे नमाज़ी को शहादत का कल्मा माना के साथ पढ़ा कर ईजाब व कबूल कराए, लेकिन अगर बे नमाज़ी को मुसलमान समझते हैं और वह खुद अपने को मुसलमान कहते हैं तो निकाह से पहले कल्मा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, नमाज़ी परहेज़गार को निकाह से पहले कल्मा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं कल्मे का गिर्द हर मुसलमान को बराबर रखना चाहिये लेकिन निक़ाह से पहले उसको ज़रूरी करार देना सहीह नहीं है।

प्रश्नः हमारे यहां निकाह तीन बार कबूल कराते हैं इसका क्या हुक्म है?

उत्तरः जब निकाह पढ़ाने वाले ने साफ़ अल्फाज़ में ईजाब से जुम्ले कहे और दूल्हे ने साफ़ आवाज़ में कबूल कर लिया जैसे काज़ी ने कहा "मैंने फलां बिन्त फलां को, इतने रूपये महर पर तुम्हारे निकाह में दिया क्या तुमने क़बूल किया, दूल्हे ने कहा मैंने क़बूल किया, बस निकाह हो गया दोनों मियाँ बीवी हो गये, अब दोबारा, तिबारा कबूल करवाना फुजूल है, अलबत्ता अगर पहली बार साफ–साफ कबूल की आवाज़ न सुनी गई हो तो दोबारा या जरूरत हो तो तिबारा कहला लें, बे जरूरत दोबारा, तिबारा कबूल करवाना फुजूल बात है।

प्रश्नः निकाह का खुत्बा बैठ कर पढ़ना चाहिये या खड़े होकर और

शेष पृष्ठ .....17 पर

अच्छे लोगों की संगत और उसका प्रभाव

–मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी अनु0–नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

अच्छे लोगों की संगत का प्रभाव, ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसका इन्कार किसी भी ज़माने में, किसी समझदार ने नहीं किया और यदि कोई इसका इन्कार करे तो ये उसके दिमाग़ का फुतूर और समझ में कमी की दलील है।

बुद्धिहीनता का दौर– आज का दौर नासमझी का दौर है। यद्यपि लोग कहते हैं कि ये दौर अक़्ल का है लेकिन यदि आप चिन्तन–मनन करें तो मालूम होगा कि ये दौर नासमझी और अज्ञानता का है, केवल अन्तर ये है कि पहले ज़माने में जो बुद्धू होता था वह भोला–भाला सीधा–सादा होता था। लेकिन इस समय मामला कुछ ऐसा है कि व्यक्ति बुद्धिमान होकर भी बुद्धिहीन है, और पढ़ा–लिखा होकर जाहिल। अर्थात पढ़े–लिखे जाहिल। अर्थात यूँ कह लीजिए कि इस काल में अज्ञानता पढ़–लिख गई है। पहले सादगी थी, जो बेचारा जाहिल होता था, आप ने बता दिया उसे मालूम हो गया, और वह मानने वाला हो गया। अब ये दौर है कि जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। विचित्र परिस्थिति है यह सबको मालूम है कि सिगरेट नुकसान करती है और उससे कैंसर होता है, बड़ी–बड़ी बीमारियाँ होती हैं, फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। उनसे पूछिये कि क्या आप को मालूम नहीं कि सिगरेट नुक़सान करती है, कहेंगे कि सब मालूम है।

यदि हमारे और आपके कान हों तो अन्दर से ऐसी आवाज़ आती कि हम बेअक़्ल हैं, सुनने वाले को हंसी भी आती है, तो उनसे कहिये अपनी बुद्धिहीनता को दूर कीजिए, बुद्धिमानों की संगत में बैठिये, लेकिन अधिकतर लोग समझते नहीं। बुद्धिमान वह है जो धार्मिक (दीनदार) हैं उनसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं होगा। जो जितना धार्मिक (दीनदार) है वह उतना ही समझने वाला है और अब तो ये बात खुलकर सामने आ रही है।

एक इलाके में जाना हुआ। वहां कुछ प्रोफेसरों के लड़के कुर्आन को कंठस्थ याद कर रहे थे। पूछा कि क्यों अपने लड़कों को कुर्आन कंठस्थ याद करा रहे हो? वह कहने लगे कि कुर्आन याद करने के बाद बच्चे बहुत तेज़ हो जाते हैं, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, कुर्आन याद करने से अक़्ल का ताला खुल जाता है आदि। लेकिन ये लोग भी बेवकूफ हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्आन को दुनिया कमाने का ज़रिया बना लिया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है! अब हिफ़्ज़ (कुर्आन कंठस्थ) इसलिए करा रहे हैं कि बच्चे का दिमाग़ अच्छा हो जाए और वह अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। कुर्आन को दुनिया कमाने का ज़रिया बनान मुनासिब नहीं। कुर्आन तो व्यक्ति के जीवन में क्रन्ति लाता है, और इंजीनियर को, डॉक्टर को, बड़े–बड़े वैज्ञानिकों को सीधा रास्ता दिखाता है। कुर्आन पढ़ कर आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा है बहुत अच्छा! इस को मना नहीं करता, लेकिन कुर्आन को सोच समझ कर, पढ़ें तो उसका फायदा ही कुछ और हो।

संगत का प्रभाव– लोगों के मुँह से ये बात खूब सुनी जाती है कि जैसी संगत होगी वैसा ही प्रभाव

पड़ेगा। जिसकी संगत में रहेगा उसके रंग को अपने ऊपर चढ़ा लेगा। माँ–बाप भी अपने बच्चों को रोकते हैं कि बुरे बच्चों के साथ मत जाना, अब आप ही बताइये क्यों रोकते हैं? ये एक वास्तविकता है कि बुरों के साथ जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। और यदि बुरे न भी हुए तो बुरी शोहरत तो हो ही जाएगी। और बुरी शोहरत भी बुरी सोहबत (संगत) का नतीजा है। ऐसे ही यदि अच्छों की संगत में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहने का अवसर ढूँढना चाहिए। अच्छी संगति के बिना व्यक्ति के अन्दर पुर्णता जन्म नहीं ले सकती। चाहे दुनिया का मामला हो या दीन–धर्म का। किसी भी क्षेत्र में चले जाइये। डॉक्टर को उस समय तक इजाज़त नहीं जब तक कि वह House Job न कर ले, एक साल तक तो उसे डॉक्टरों के साथ रहना पड़ता है। डॉक्टर की संगत में रहो तब जाकर डिग्री मिलेगी। छः साल पढ़ा लेकिन डिग्री नहीं मिली, क्यों? पहले मरीज़ देखो, डॉक्टर की सरपरस्ती में तुम्हारी निगरानी की जाएगी। कुल बातों का निचोड़ कि संगत में रहे तो मिला। दूसरी ओर वही लोग कहते हैं कि संगत की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वह बेवकूफ हैं।

संगत का उद्देश्य आमतौर पर ये समझा जाता है कि किसी अल्लाह वाले के सानिध्य में रहे, निः सन्देह ये सब से अच्छी संगत है, लेकिन संगत का तात्पर्य ये होता है कि घर में माता–पिता भी अच्छें हों, और दोस्त–यार भी अच्छे हों और मियाँ–बीवी भी ठीक हों। क्योंकि संगत का अर्थ है साथ रहना। एक साथ सबसे अधिक कौन रहता है? पति–पत्नी रहते हैं और निःसंकोच रहते हैं। तो होना ये चाहिए कि पति भी अच्छा हो और पत्नी भी अच्छी हो, फिर उसके साथ ये याद रखना चाहिए कि यदि कोई शादी करता है, पति कमाने के चक्कर में अमेरीका में पड़ा है और पत्नी बेचारी हिन्दुस्तान में, न मुलाकात न सहवास, फिर तो औलाद होने से रही। आप चाहे कितना फलसफा बघार लें, कितनी भी बातें बना लें, तन्हा मुहब्बत से काम नहीं चलेगा। इन्टरनेट पर बैठ कर बतिया लिया, एक दूसरे को देख लिया उससे क्या होगा, औलाद के लिए सोहबत जरूरी है भाई!

शरीर से वंश चलता है आत्मा से सम्बन्ध जुड़ता है–

हर आदमी के साथ जिस्म और रूह है, जिस्म के साथ जिस्मानी चीज़ें जुड़ी हैं और रूह के साथ रूहानी चीज़ें जुड़ी हैं, शरीर से (वंश) चलता है और आत्मा से सम्बन्ध जुड़ता है। इसलिए कहा गया है कि वंश भी सही होना चाहिए और निस्बत (सम्बन्ध) भी। पति–पत्नी सही होंगे तो वंश सही होगा और अच्छे लोगों की संगत मिल गई तो निस्बत सही होगी। लेकिन दोनों के सही होने का सिद्धान्त ये है कि निकाह सही हो, और निकाह की जो शर्तें हैं अर्थात गवाह का होना, ऐलान कराना आदि शर्तें पूरी हों, मियाँ–बीवी सही हों, तन्दरूस्त हों, फिर इन्शाअल्लाह, औलाद होगी तो उससे सही नसब चलेगा। लेकिन अगर निकाह न करे तो जाहिरी तौर पर सिससिला तो चल रहा है लेकिन वंश कट जाएगा। ऐसे ही निस्बत पाने के लिए संगत अच्छी होनी चाहिए। गौर करें तो मालूम होगा कि यदि पति सही है तो उससे पत्नी को वंश (नसब) मिलेगा, और पति अल्लाह वाला है तो उससे पत्नी को वंश (नसब) मिलेगा। इस प्रकार दोनों चीज़ें जमा हो जाएंगी।

इसीलिए कहा गया है कि अच्छी और धार्मिक प्रवृति की पत्नी लाओ उससे तुम्हारा वंश सुरक्षित रहेगा। फिर एक दूसरे के साथ रहते–रहते एक दूसरे जैसे हो जाओगे। पति का प्रभाव पत्नी पर और पत्नी का पति पर पड़ेगा। पता चला कि मियाँ–बीवी को भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ माँ–बाप को भी अच्छा होना चाहिए कि उनकी संगत में बच्चे रहते हैं।

बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की गोद में होता है उसके बाद बाप के साथ रहना होता है। माता–पिता अच्छे होंगे तो बच्चा अच्छे तरीक़े से परवान चढ़ेगा। उसका सही पालन–पोषण होगा। पिता कि लिए बच्चों के नैतिक प्रशिक्षण और लालन–पालन की चिन्ता को एक साअ सदक़ा (दान) करने से बेहतर बताया गया है। फिर यदि अच्छे मित्र होंगे तो उनकी अच्छाई ट्रान्सफर होगी। जो अच्छी संगत का जितना आदी होगा, उसकी निस्बत उतनी ही मज़बूत होगी। इसी प्रकार तन्दरूस्ती के लिहाज़ से जो जितना पूर्ण होगा उसका बच्चा उतना ही सेहतमन्द होगा। दोनों चीज़ें ऐसे ही साथ चलती हैं तो आध्यात्मिक (रूहानी) तौर पर जो अल्लाह के नेक बन्दे हैं यदि आप उनके सानिध्य में रहेंगे तो उनकी संगत का प्रभाव पड़ कर रहेगा।

सहाबा का मुकाम मुहम्मद सल्ल0 की संगत का परिणाम–

सहचरों (सहाबा) को अल्लाह ने एक ऐसे नबी की संगत में रखा जो मानव जाति में परिपूर्ण और सर्वोत्तम था तथा नैतिकता का ध्वजावाहक था। दूसरों को देने वाला और नैतिकता के अलंकार से सुसज्जित करने वाला था। उसी की संगत में सहाबा में निखार आया और उसी के आलोक से उच्च स्थान प्राप्त हुआ जो केवल उन्हीं के साथ खास है। सहाबा को आप सल्ल0 की संगत में रहने के बाद अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। वह स्थान आप सल्ल0 के संगत के अतिरिक्त नहीं मिल सकता था। जैसे मस्जिदे हराम है, मस्जिदे हराम में जो नमाज़ पढ़े उसके लिए एक लाख सवाब (पुण्य) है। उसी तरह मस्जिद नबवी में, बैतुल मक़्दिस में हज़ारों नमाज़ का सवाब है। लेकिन यदि आप इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, यहाँ बड़े–बड़े मुजाहिद और अल्लाह के वली (मित्र) आए हैं, रहे हैं और पैदा हुए हैं। अब यदि आप ऐसा सोचें कि इस मस्जिद में हज़ारों का सवाब (पुण्य) मिल जाए तो ये असम्भव है। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह झूटा है। आज कुछ लोगों में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं कि अमुक मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो तो ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऐसे ही रमज़ान में जो लोग रोज़ा रखेंगे, तिलावत (पाठ) करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, उसमें उसकी बात ही कुछ और है। सत्तर गुना यूँही मिल रहा है। रमज़ान के अतिरिक्त नहीं मिल सकता चाहे पूरे साल रोज़ा रखें। रमज़ान के एक रोज़े के बराबर पूरी ज़िन्दगी रोज़ा नहीं हो सकता। रमज़ान, रमज़ान है। उसी प्रकार आप सल्ल0 की संगत के समान किसी अन्य की संगत नहीं हो सकती।

स्पष्ट है हज़रत मुहम्मद सल्ल0 से बढ़ कर कौन है? तो उसका प्रभाव भी ये पड़ा कि एक नज़र में सहाबा की काया पलट गई। उनके जीवन में क्रान्ति आ गई। और उनका ईमान एक ही नज़र में वहाँ पहुँच गया जहाँ बड़े परिश्रमों, कष्टों और सैकड़ों रकात नमाज़ पढ़ने और हज़ारों रोज़े रखने के बाद कोई बड़ी मुश्किल से उसके आस–पास पहुँचता है।

❖❖❖

मुस्लिम समाज

—हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद अदील अख़्तर बनारसी

दूसरा महाज़ ख़ुद मुसलमानों को शरीअते इस्लामी पर अमल करने के दायरे में लाने का है, जो सब से विस्तृत और महत्वपूर्ण है, इसके लिए बोर्ड ने अन्य मिल्ली इरादों (संगठनों) की मदद से "इस्लाहे मुआशरा" के नाम से काम शुरु किया है, यह काम अधिक विस्तृत और बड़ी मेहनत का है, जरूरत है कि उसके लिए जगह–जगह प्रबन्ध किये जाएं। आम मुसलमानों को शरीअते इस्लामी के आदेशों के ख़िलाफवर्जी से रोका जाये, उनके मुआमलात में ग़ैर इस्लामी रस्में और तरीक़े दाखिल हो गये हैं, जिनसे परवरदिगार की मर्जी और उसके आखिरी नबी की शिक्षाओं की अवहेलना हो रही है, इससे बाज़ रहने को कहा जाये, ताकि दुनिया व आखिरत (परलोक) दोनों में जो नुक़सान व तबाही का खतरा है वह दूर हो।

निकाह व शादी में ग़ैर ज़रूरी नुमाइश, साज–सज्जा, बेजा खर्चे और जाहिलाना रस्में गैर आकिलाना तरीक़े हैं, जिनसे एक तरफ तो खुदा और रसूल को नाराज किया जा रहा है और दूसरी तरफ वह कीमती ख़ज़ाना जो शादीशुदा जोड़े के भविष्य के निर्माण और मिल्लत (समुदाय) के जरूरी कामों में लगाया जा सकता है, बर्बाद होता है। और उसी के साथ उसका खर्च करना लड़की, लड़के के माता–पिता के लिए भारी बोझ के कारण भी बनता है। ज़रूरी है कि उसकी इस्लाह (सुधार) के लिए लोगों को समझाया जाये कि वह केवल क्षणिक आनन्द और शोहरत के लिये इस तरीक़े से अपने आर्थिक भविष्य को भी नुक़सान पहुँचाते हैं और मिल्लत के लिए जरूरी तक़ाजों को पूरा करने में जो हिस्सा लिया जा सकता है उससे भी असमर्थ रहते हैं। फिर अपने परवरदिगार और उसके आखिरी नबी के आदेशों की अवहेलना करके उनको नाराज़ करते हैं। ये नाराज़गी उनके लिये दुनिया व आख़िरत (परलोक) दोनों में नुक़सान का कारण बनती है।

निकाह व शादी के मामले में शरीअते इस्लामी के निर्धारित मुफ़ीद तरीक़े की पाबंदी न कर सकने के कारण पति–पत्नी के तअल्लुक़ात बाज़ वक़्त बहुत ख़राब हो जाते हैं तलाक़ और जान की हलाकत तक की नौबत आ जाती है। यह सही है कि बाज़ वक़्त सही तरीक़–ए–कार इख़्तियार करने के बावजूद अलगाव की ज़रूरत पेश आ जाती है, उसके लिए शरीअ़त ने तलाक़ का ज़रिया मुहय्या किया है। लेकिन उसका मुनासिब तरीक़ा बताया है, वह यह कि अहले तअल्लुक़ की तरफ से मेल–मिलाप कराने की कोशिश की जाये और बात न बनने से एक–एक कर के महीने में तलाक़ दी जाए, अधिकतर फिक़्ही मस्लकों में इंतेहाई ज़रूरत पर एक ही मर्तबा में तलाक़ दे कर अलाहदगी की जा सकती है। अगरचे उसको बेहतर करार नहीं दिया गया है। पूरी तरह अलगाव पर राजी हो जाने पर अच्छे तरीक़े से रूख़सत करने की हिदायत की गई है और दिलदारी की शक्ल बताई गई है। बहुत से मुसलमान उन हिदायात को नज़र अंदाज़ करके खराब सूरते हाल पैदा कर देते हैं। इसी तरह तक्सीमें मीरास

(विरासत का बँटवारा) का मामला है, रिश्तेदारों के साथ सद्व्यवहार का मसला है और दीगर घरेलू मुआमलात हैं। फिर एक अहम बात शराब और जुए की बद आदतें हैं। शराब और जुए को शरीअत ने हराम और सख़्त काबिले मुजम्मत अमल बताया है। इससे धन–दौलत की बर्बादी और घरेलू ज़िन्दगी तबाह होती है। सबसे बुरी बात ये है कि ख़ुदा और उसके रसूल की सख़्त नाराजगी का कारण बनती है। जुए का एक आम प्रचलित रूप मौजूदा ज़माने में लॉटरी है। जिससे खूब फायदा उठाने की लालच में बहुत मुसलमान अपनी आमदनी का अधिकतर हिस्सा उस की नज़र कर देते हैं।

इसी तरह ग़लत कारियां मुसलमानों की ज़िन्दगी को घुन की तरह खा जा रही हैं और ज़िन्दगियाँ तबाह कर रही हैं। हमारे आवाहक महोदय और जिनको ख़ुदा ने ज़ुबान या क़लम की मुअस्सर सलाहियतें अता की हैं उनका फर्ज़ है कि वह आगे आएं और मुख़्तलिफ तरीकों से उन खराबियों को दूर करने की कोशिश करें।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर.....

निकाह के खुत्बे में मकामी ज़बान में तकरीर करना कैसा है?

प्रश्नः निकाह में खुत्बा बैठ कर भी पढ़ा जा सकता है और खड़े हो कर भी दोनों तरह जाइज़ है। निकाह का खुत्बा, सुन्नत यह है कि अरबी में पढ़ा जाए और उसमें मुकर्ररा आयतें पढ़ी जाएं, अरबी खुत्बे के बाद उस खुत्बे की मुकामी ज़बान में वजाहत या निकाह से मुतअल्लिक तकरीर मुकामी ज़बान में कहना जाइज़ है।

प्रश्नः कुछ लोग निकाह की तारीख में नहस व सअ़द देखते हैं इसका क्या हुक्म है?

उत्तरः निकाह की तारीख में सअ़द व नहस तारीख देखना गलत बात है कोई दिन या तारीख नहस नही अपनी सुहूलत से कोई भी तारीख मुकर्रर करना चाहिये अलबत्ता रुखसती की तारीख में औरतों के ज़रिये यह जानकारी जरूर ले लेना चाहिए कि लड़की को पाकी का ज़माना है या नहीं, इसको नज़र अन्दाज करने में कभी बड़ा गुनाह हो सकता है लिहाजा इस तरफ तवज्जुह देना बहुत ज़रूरी है।

प्रश्नः एक शख़्स कारोबार में, किसी के माल की बिक्री करता है और उसकी रक़म में से कुछ फीसद अपने पास रखकर बाकी रकम उसको दे देता है तो क्या यह जाइज़ है?

उत्तरः इस सूरत का जाइज होना और ना होना बाहमी मुआहदा पर मौकूफ है अगर बेचने वाला उसका नौकर है और उसको बताए बिना कुछ फीसद रक़म छुपा लेता है तो यह खियानत है और नाजाइज़ है और अगर उसका माल वाले से मुआहदा है कि वह जितना बेचेगा उस पर उसको इतने फीसद उजरत मिलेगी तो इसकी गुंजाइश है।

प्रश्नः एक कमीशन एजेन्ट है जो बेचने वाले से और खरीदने वाले दोनों से कमीशन लेता है क्या यह सूरत जाइज़ है?

उत्तरः एजेन्ट की हैसियत अस्ल में वकील और दलाल की होती है और वकालत की उजरत (मजदूरी) ली जा सकती है लिहाजा वह बेचने वाले के लिये काम कर रहा है तो सिर्फ उसी से उजरत ले सकता है, खरीदार से नहीं ले सकता हां अगर कोई एजेन्सी इस बात के लिये काइम हो कि वह ताजिर और ग्राहक दोनों के लिए काम कर रही हो तो वह एजेन्सी दोनों ही से उजरत ले सकती है अल्लामा शामी ने इस पर तफ्सील से बात की है और इसको जाइज़ करार दिया है।

(रददुल मुख्तार 42/4)

❑❑

(देवनाग़री लिपि में उर्दू)

रसूलुल्लाह सल्ल० से मुहब्बत व अक़ीदत का तक़ाज़ा

—मौलाना सैय्यद मुहम्मद हमजा हसनी नदवी

रसूलुल्लाह सल्ल० से मुहब्बत ऐन ईमान है। जब तक हम अपने माँ–बाप, अपनी औलाद हुज़ूरे अक़दस सल्ल० पर निसार करने का जज़्बा न रखें हमारा ईमान कामिल हो नहीं सकता। और हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते।

रसूलुल्लाह सल्ल० से मुहब्बत व अक़ीदत का तक़ाजा क्या है? इस पर हम को ग़ौर करना चाहिए।

अपने को और अपने अमल व किरदार को जांचना चाहिए। आदमी जिस से मुहब्बत करता है उसकी हर सिफ़त और उसकी हर बात और उसका हर फरमान प्यारा लगता है। जिसका नतीजा यह होता है कि मुहब्बत करने वाला हर मुआमले में उसका हो जाता है, और उसके नक़्शे क़दम पर चलने वाला होता है, और उसके हर हुक़्म पर अमल करने को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद समझता है, तब उसका मुहब्बत का दावा सच्चा साबित होता है।

अब हम को यह देखना चाहिए कि हमारा क्या हाल है? और हमारी ज़िन्दगी किस रास्ते पर गुज़र रही है, इबादात में, मुआमलात में, दीन की ख़िदमत करने में, इस्लाम की नश्र व इशाअत में, हुकूक़ की अदायगी में, माल के खर्च करने में, अक़रबा और आम मुसलमानों के साथ सुलूक़ में हम क्या कर हरे हैं? और रहमतुललिलआलमीन हज़रत मुहम्मद सल्ल० की पाक ज़िन्दगी इन तमाम बातों में हम को क्या रहनुमाई देती है?।

हर मुसलमान मर्द व औरत के इल्म में यह बात अच्छी तरह है कि उस वक़्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक हम रसूलुल्लाह सल्ल० के बताए हुए तरीक़े पर पूरी तरह न चलें और आप सल्ल० ने जो नमूना छोड़ा है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल न करें।

कुर्आन मजीद में साफ–साफ बयान किया गया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ यह नहीं चल सकता है कि कुछ बातों पर अमल करें और कुछ बातों पर अमल न करें, ज़बान से मुहब्बते रसूल सल्ल० के बुलन्द बाँग दावा करें और जब अमल का वक़्त आए तो दूर–दूर नज़र न आएं। शिर्क व बिदआत के मेले लगाएं। नमाज़ के वक़्त मस्जिद की तरफ न जाएं, रोज़े में भूख प्यास बर्दाश्त करना मुश्किल समझें, ज़कात की अदायगी बर्दाश्त न करें, शादियों में दोनों हाथों से दौलत लुटाएं और उसको इज्ज़त का ज़रिआ समझे, इस मुआमले में हर एक को खुश करें और रसूलुल्लाह सल्ल० को नाराज़ करें, ग़रीब मुसलमानों पर अपना माल खर्च करना बेवकूफी समझें, और अमीरों, मालदारों के सामने अनवाअ व अक़्साम के बेहतरीन खाना सजाना काबिले फख़्र समझें। यह सब ज़बान से हुब्बे रसूल के दावे और अमल से हुब्बे रसूल सल्ल० से बेगानापन और लाताअल्लुकी है।

इसका जो नतीजा निकलना चाहिए वह निकल रहा है, अगर कुछ भी बसीरत है, अगर कुछ भी आँखों में ईमान की रौशनी है तो हर शख़्स अच्छी तरह देख सकता है।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

आदर्श शासक

—नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

अतः उन सबको एक राह सूझी कि वह सलाहुद्दीन से बात करे, वही उसका उद्धार कर कसता है। वह महिला इस परामर्श से अवाक रह गई और बोली वह तो हमारा कट्टर दुश्मन है! फ़ौज़ी अफसरों कहा, है तो वह हमारा दुश्मन, लेकिन आदमी बड़ा रहमदिल है। तुम उसे अपनी परेशानी बताओ वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, तुम्हें उल्टे पाँव लौटाएगा नहीं।

वह महिला आशा–निराशा के भंवर में उपारते–डूबते सलाहुद्दीन के शरण में पहुँची। सुल्तान सलाहुद्दीन ने देखा कि माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए परेशान है तो स्वयं व्याकुल हो उठा। सेना में तलाश कराया। पता चला कि बच्चा पकड़ा गया था, बन्दियों के साथ–साथ उसे भी बेच दिया गया। सलाहुद्दीन ने उसे बुला भेजा जिसने उसके बच्चे को ख़रीदा था। अपने पास से उसकी क़ीमत अदा की और स्वयं बच्चे को ले जाकर उसकी माँ की गोद में दे दिया। वह माँ सलाहुद्दीन को दुआएं देते हुए निढ़ाल हुए जा रही थी और बच्चे को चूमे जा रही थी।

वह एक बड़े साम्राज्य का महान शासक था। उसकी पत्नी ने कहा कि बहुत दिन हुए मीठा खाए, आज मीठा मिल जाता तो बढ़िया होता। पति के पास उत्तर देने हेतु वाक्य नहीं बन पा रहे थे। अंततः उस बड़े साम्राज्य के मालिक के मुँह से बोल फूटे मेरे पास पैसे कहां? भाई! होते तो खिला देता। तुम तो जानती ही हो कि जीवन किस जुगाड़ से चल रहा है! पत्नी ने कहा हाँ हाँ! बुत अच्छी तरह से जानती हुँ, इसलिए तो कभी गिला नही किया लेकिन ये बताइये कि यदि मैं रोजमर्रा के खर्चों में से थोड़ा–थोड़ा सा बचा कर इकटठा करूं और जब इतना पैसा इकटठा कर लूँ कि उससे मिठाई खरीद लूँ तो आपको आपत्ति तो नहीं होगी? भाई! पति इससे क्या आपत्ति हो सकती थी? पति ने आज्ञा दे दी।

कि सुघड़ पत्नियां ऐसा ही करती हैं। घर के खर्चों में थोड़ा–थोड़ा बचत कर लेती हैं जो कि मोके पर काम आते हैं। कुछ दिनों बाद पत्नी ने कौड़–कौड़ी बचा कर पति को दी कि इसकी मिठाई मंगवा दीजिए।

पति को जब बचत का हाल मालूम हुआ तो कहा इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा कम में भी गुज़ारा हो सकता है, तुमने थोड़ा– थोड़ा बचा कर ये पैसा जमा किया लेकिन हमें तनिक भी आभास नहीं हुआ कि तुम उन पैसों में बचत कर रही हो। अतः पति ने मिठाई हेतु बचाए गए पैसे का राजकीय कोष में जमा करा कर और उस पैसे के बराबर अपने वेतन में कटौती करा दी।

राजकीय कोष में पैसा जमा कराने और अपने वेतन में कटौती कराने वाले का नाम महान शासक हज़रत अबूबक्र रिज़0 था। ये हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के सबसे क़रीबी और सबसे प्रिय थे। आप सल्ल0 कहा करते थे कि मैंने दुनिया में सबका एहसान चुका दिया लेकिन अबूबक्र रज़ि0 का एहसान आखिरत (परलोक) में चुकाऊँगा।

आरम्भ में हज़रत अबूबक्र रज़ि0 वेतन भी नहीं लेते थे। कुछ समय पश्चात व्यापार छोड़ कर अपना पूरा समय देश के लिये समर्पित कर दिया तो वेतन निर्धारित किया गया। अन्तिम समय आया तो अपनी प्रिय पुत्री हज़रत आईशा रज़ि0 को बुला भेजा और कहा अमुक ज़मीन बेचकर राजकीय कोष के वेतन की पूरी रक़म वापस कर दो ताकि देश व क़ौम की सेवा निः स्वार्थ हो।

हमारे देश–प्रदेश की विधान सभा और लोक सभा में आए दिन माननीय सदस्य माहेदय वेतन

शेष पृष्ठ .....22 पर

कैसे मिटे भ्रष्टाचार जब तालाब की सारी मछलियां गन्दी हों

—विद्या प्रकाश

हमारे देश में जिस प्रकार विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न रूपों में भ्रष्टाचार का दायरा तेज़ी से फैलता तथा अपने पाँव पसारता जा रहा है, उससे जनसाधारण का हक़ तो मारा ही जा रहा है, देश की विकास प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ तालाब की सारी मछलियां गन्दी हों, वहां ईमानदारी की दिशा में पहलक़दमी कौन और कैसे करे यह एक महत्वपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण सवाल है।

आज स्थिति यह है कि अपवाद स्वरूप कुछेक लोगों को छोड़ कर संतरी से लेकर मंत्री तक अधिकांशतः भ्रष्ट तथा अपनी–अपनी औक़ात के अनुसार सभी नाजायज़ और ग़लत तरीक़े से मुँह मार रहे हैं। कार्यालय का चपरासी अपनी हैसियत के अनुसार पच्चीस–पच्चास रूपये की ऊपरी आमदनी कर रहा है। इसी प्रकार लिपिक सैकड़ों में, अधिकारी हज़ारों–लाखों में तथा मंत्री करोड़ों, अरबों में खेल रहा है।

राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनोत्थान, बेरोज़गार के निराकरण, बाल कल्याण आदि से सम्बन्धित शायद ही कोई योजना भ्रष्टाचार के घुन से बची तथा दीमक से अप्रभावित हो। किसी भी योजना में निर्धारित धनराशि का अस्सी–पच्चासी प्रतिशत भाग ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारियों तक आते आते कमीशनख़ोरी, रिश्वत ख़ोरी, दलाली की भेंट चढ़ कर बमुश्किल पन्द्रह–बीस प्रतिशत ही विकास कार्य में व्यय हो पाता है। बदकिरदारी व बदअख़्लाक़ी का आलम यह है कि अदालत में मुसिफ सिविल जज तथा जनपद न्यायाधीश की आँखों के सामने पेशकार तारीख़ पेशी पर आने वाले पक्षकारों तथा प्रतिवादकारियों से दस–दस रूपये पेशी लेने से बाज़ नहीं आता। मुद्दई और मुद्दाअलैह से दस–दस रूपये पेशी लेने का क्या तुक और औचित्य है? क्या न्यायधिकारी अंधा है?। न्यायाधीश का मुँह कारवाई के नाम पर बन्द इसलिए रहता है कि वादकारियों से पेशी के नाम पर की जाने वाली वसूली तथा रिश्वतखोरी में अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी हाथ रहता है। सायंकाल न्यायालय और कार्यालय बन्द होने के उपरान्त पेशी के नाम पर वादकारियों से अवैध रूप से ली गयी रिश्वत में से पेशकार बियर, मीट, मछली और मुर्गा खरीद कर उनके घर पहुँचा देता है, साहब के बच्चों के बर्थ डे पर सुन्दर गिफ्ट भेट कर देता है या होली–दीपावली जैसे त्योहारों के मौक़े पर दो तीन किलो ग्राम मिष्ठान भिजवा देता है।

अनेक अधिवक्ता ऐसे हैं जो मुक़दमे में मनमाफिक़ फैसला करवाने के मक़सद से आशिकमिज़ाज न्यायाधीशों को लड़कियां तक सप्लाई करते हैं।

हम समाज में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण लें। शहर के मोहल्ले या गाँव में तैनात कोटेदार क्षेत्र के सौ–पच्चास ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 राशन कार्ड धारकों में खाद्यान्न, चीनी तथा मिट्टी का तेल वितरित कर शेष ब्लैक मार्केट में बेचकर खुल्लम–खुल्ला मुनाफ़ा खोरी करता है। उसकी इस मुनाफा खोरी में सप्लाई इंस्पेक्टर से लेकर जिला पूर्ति अधिकारी तक का प्रतिशत के अनुसार हिस्सा बँधा रहता है। लोग कोटेदार के ख़िलाफ समाचार पत्रों में ख़बर छपवाकर यह सोचते हैं कि कारवाई होगी जबकि सामान्यतः होता यह है कि सप्लाई इंस्पेक्टर

ऐसी खबरों पर जल्दी ध्यान नहीं देता तथा सोचता है कि सब चलता है। यदि वह ख़बर पढ़कर कोटेदार के पास समाचार पत्र के साथ पहुँच भी जाता है तो कोटेदार कैशबाक्स खोलकर पाँच सौ रूपया का नोट निकालता है तथा बच्चों के मिठाई खाने के नाम पर उसकी जेब में चुपचाप डाल देता है। सारा मामला सही हो जाता है। यदि राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार के ख़िलाफ़ जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया तथा सप्लाई अफ़सर पर जिला प्रशासन का ऊपरी दबाव पड़ा तो वह कोटेदार का कोटा तत्काल दिखाने के लिए मुअत्तल कर देता है तथा दो माह के बाद स्थिति सामान्य तथा शान्त हो जाने पर फिर उसे बहाल कर देता है अथवा कोटेदार की श्रीमती जी या पुत्र के नाम पर कोटा एलाट कर दिया जाता है। इस प्रकार कि शिकायत पर जांच व कारवाई का नाटक तथा तमाशा चलता रहता है और हर बार फायदे में भ्रष्ट ही रहता है।

भ्रष्टाचार तथा घोटालों के बड़े–बड़े तथा नये–नये मामले आये दिन प्रकाश में आते रहते हैं। कभी चारा घोटाला, कभी बोफोर्स तोप कांड, कभी टू0जी0 स्पेक्ट्रम घोटाला तो कभी राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। यानी शीर्षक बदल–बदल कर भ्रष्टाचार की कहानी दुहराई जा रही है। एक तो जल्दी इस प्रकार के घोटालों में शीघ्र कारवाई नहीं की जाती और यदि प्रतिपक्ष के दबाव पर जांच तथा कारवाई की शुरुआत हो जाती है तो प्रारम्भिक अवस्था में बड़ी तेजी दिखलायी जाती है, आरोपियों को धड़ाधड़ हिरासत में लेकर पूछ–ताछ की जाती है और आरोप पत्र (चार्जशीट) न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। फिर समय गुज़रने के साथ ही सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आगे चलकर कारवाई भी की जाती है तो कच्छप गति से।

ज़्यादातर मामलों में भ्रष्टाचार, धांधली और घोटाले का मुख्य आरोपी अपने सियासी असर, रसूख और ऊँची पहुँच के कारण बाइज़्ज़त बरी हो जाता है तथा अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर उन्हीं के ख़िलाफ़ बर्खास्तगी और जेल, जुर्माना जैसी कार्रवाईयाँ की जाती हैं। इसी देश में अनेक ऐसे राजनेता हैं जो घोटालों के आरोपी होने के बावजूद केन्द्र सरकार में मंत्री तथा प्रदेश में मुख्यमंत्री जैसे पदों पर पूरे कार्यकाल तक आसीन रहे और आय से अधिक सम्पति रखने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कारगर कारवाई नहीं की गयी। किसी ने सच ही कहा है कि "क़ानून वह मकड़जाल है जिसमें छोटी मक्खियां ही फंसती हैं तथा विशालकाय हाथी उसे नोच कर बेखौफ़ आगे निकल जाया करता है।

समाज के निचले स्तर से लेकर शिखर तक भ्रष्टाचार के समाप्त न होने तथा उस पर अंकुश न लग पाने का सर्वप्रमुख कारण जनसाधारण द्वारा सशक्त संगठित प्रतिरोध का अभाव है। आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार के रूप में स्वीकृत हो गया है। जायज़–नाजायज़ तरीक़े से जिसने अकूत सम्पदा संचित कर ली, उसे बड़ा तथा प्रतिष्ठित माना जाता है तथा यह नहीं देखा जाता कि उसने यह धन–सम्पदा किस प्रकार एकत्र तथा संचित की है।

किसी तालीमीयाफ़्ता युवक के नौकरी मिलने पर उसके शुभचिंतक और मित्र तथा सगे–सम्बन्धी उससे पूछते हैं– माहवार तनख़्वाह के अलावा कुछ ऊपरी आमदनी हो जाती है कि नहीं? वह भी बड़े फख़्र के साथ जवाब देता है कि रोज़ाना दो–चार सौ रूपये आराम से मिल जाते हैं। यदि किसी रोज़ मोटा मुर्ग़ा फंस गया तो हज़ार का आंकड़ा पार हो जाया करता है।

आज लोगों की मानसिकता यह है कि यदि किसी ने कमीशनख़ोरी, दलाली व

रिख्वतख़ोरी के बल पर बंगला, गाड़ी, टी0वी0, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि की व्यवस्था कर ली तो उसे चतुर माना जाता है। यदि कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हुए बमुश्किल एक मामूली रिहायशी मकान ही अपनी ज़िन्दगी में बनवा सका या नहीं बनवा पाया तो लोग उसकी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करने, उसे प्रोत्साहित करने के बजाये उसे बेवकूफ समझते हैं। ऐसे कर्मी की पुत्री के साथ कोई लड़का पक्ष वाला शीघ्र अपने लड़के से विवाह करने को तैयार नहीं होता। वह सोचता है कि इसके लिए तो खुद अभाव में अपनी कन्या के विवाह में दहेजस्वरूप लाख, दो लाख भी दे पाना भारी है।

इसी प्रकार लोग चुनाव में ईमानदार उम्मीदवार को वोट नहीं देते क्योंकि वह प्रचार में लाखों रूपये व्यय नहीं कर सकता, मतदाताओं में कंबल, साइकिल का वितरण नहीं करवा पाता। ऐसे प्रत्याशी का सौ पच्चास मत पा सकना भी दुश्वार हो जाता है। दूसरी तरफ़ एक प्रत्याशी भ्रष्ट तरीक़े से अर्जित धन चुनाव प्रचार में ख़र्च कर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता है। मतदाता भी उन्हीं के पक्ष में मतदान करते हैं। क्या यह भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं है?। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार पर अंकुश की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है?। हम दूसरों से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की उम्मीद तो खूब करते हैं मगर खुद अपना अमल नहीं देखते।

हम कार्यालय में निर्धारित समय से विलंब से पहुंचते हैं मगर उम्मीद यह करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन समय पर पहुंचे। हमें आफ़िस में काम से आने वाले ज़रूरतमंद लोगों से रिश्वत लेने में अच्छा लगता है तथा हम बहुत प्रसन्न होते हैं, मगर सदर अस्पताल में चिकित्साधिकारियों द्वारा सरकारी दवाइयों, सिरिंज, टेबलेट, कैप्सूल और मरहम पट्टी की ब्लैक मार्केटिंग पर हमें गुस्सा आता है, तथा कोटेदार का खाद्यान्न, मिट्टी के तेल तथा चीनी के वितरण पर गड़बड़ी करना हमें बुरा तथा नागवार लगता है।

ऐसा नहीं है कि समाज में सभी भ्रष्ट तथा अनैतिक हैं। भले लोग भी हैं मगर उनकी संख्या अल्प है। समाज सुधार तथा परिवर्तन की उम्मीद ऐसे ही लोगों से की जा सकती है। ऐसे लोगों को मौन साधना त्याग कर सदाचरण का दीप प्रज्वलित करना होगा और अच्छाइयों की अलख जगानी होगी।

❖❖❖

आदर्श शासक.....

बढ़ाने हेतु वाकआउट और धरना प्रदर्शन करते हैं। यदि वह अबूबक्र रज़ि0 से सीख लें तो देश का उद्धान हो जाए।

हज़रत अबूबक्र रज़ि0 कपड़े का व्यापार करते थे। कन्धे पर थान डाले बाज़ारों में फिरते और बेचते। आप खलीफा (शासक) बन गए तो भी काफी दिनों तक यही काम करते रहे। शासन हेतु व्यस्तता बढ़ी तो विवशता पूर्वक ये काम छोड़ना पडा। मगर ख़लीफा बनकर भी आप मुहल्ले के कई घरों में जाते। उनकी बकरियाँ दूहते और उनके लिये बाज़ार से सामान लाते।

हमारे प्यारे नबी सल्ल0 का भी यही अमल था। एक बार हज़रत अबूहुरैरह रज़ि0 आप सल्ल0 के साथ बाज़ार गए और वहाँ कपड़ा खरीदा। दुकानदार ने कपड़ा बाँध कर दिया। अबूहुरैरह रज़ि0 ने झट से हाथ बढ़ा कर उसे ले लिया। आप सल्ल0 ने कहा लाओ मुझे दो जो सामान जिसका हो उसी को उठाना चाहिये।

ठीक उसके उलट हमारे शासस–प्रशासक तो अपने से एक गिलास पानी लेकर पीना गवारा नहीं करते। सच तो यही है कि यदि हमारे शासक–प्रशासक इस्लामी शासकों से प्रेरणा लेकर शासन चलायें तो देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ❑❑

(देवनागरी लिपि में उर्दू)

आइन-ए-हिन्द और अक़ल्लियतों के हुक़ूक़

एक समाजी जाइज़ा

—शाहिद जुबैरी

जहाँ तक अक़ल्लियती हुक़ूक़ (अल्प संख्यकों के अधिकार) का तअल्लुक़ है इस का मक़सद अक़ल्लियत (अल्प संख्यक) को अक्सरियत (बहु संख्यक) के जब्र और नाइन्साफी से महफूज़ रखने, अक़ल्लियत और अक्सरियत में खुशगवार रिश्ते क़ाइम करने और अदल व इन्साफ में तवाजुन (सन्तुलन) रखना ही शामिल है। वह अकल्लियत मज़हबी हो या लिसानी (भाषिक) उसके हुक़ूक़ की ज़मानत दी गई है।

इस हवाले से अगर देखें तो अक़ल्लियतों के हुक़ूक़ तल्फ़ी के मुआमले में किसी भी मुल्क का दामन साफ़ नहीं है।

मज़हब, ज़बान, रंग और नस्ल के नाम पर, हर खेमें में आज भी अक़ल्लियतों के साथ इम्तियाज़ (मतभेद) बरता जाता है और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इन्सानी हुक़ूक़ की अलमबरदारी और जम्हूरियत की पासदारी का दावा करने वाले अमेरीका, बरतानिया और फ्रांस के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और रूस से आज़ादी के बाद यूगोस्लाविया में भी अक़ल्लियतों के साथ जो नारवा सुलूक रंखा जाता है वह किसी से पोशीदा नहीं है। इसका शिकार होने वाली अक़ल्लियतों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं ईसाई अक़ल्लियत और सियाह फ़ाम (काले) अक़ल्लियत भी शामिल हैं। तुर्फा तमाशा यह है कि एक मजहब़ के मानने वालों में भी मसलक की बुनियाद पर मसलकी अक़ल्लियत काइम होती है। और वह इम्तियाज़ी सुलूक का शिकार हैं और इसमें किसी मुल्क का दामन साफ़ नज़र नहीं आता।

अगर अपने मुल्क हिन्दुस्तान की बात करें तो अक़ल्लियतों के हुक़ूक़ के हवाले से हालात यहां भी तसल्ली बख़्श नहीं कहे जा सकते, अक़ल्लियतों के हुक़ूक़ की पामाली की मिसालें यहां भी कम नहीं हैं। दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद हमारे मुल्क की अक़ल्लियतें भी फिस्ताई ज़ेहनियत रखने वाली ताक़तों का निशाना बनती रहती हैं, यहां मज़हबी अक़ल्लियतों के साथ इलाक़ाई शनाख़्त रखने वाली अक़ल्लियतें भी महफूज़ नहीं हैं। महाराष्ट्र की मिसाल सामने है, जहां शिवसेना और उसकी कोख से जन्म लेने वाली महाराष्ट्र नव निर्मान सेना के हाथों यू0पी0 बिहार से तअल्लुक़ रखने वाली अक़ल्लियत बिना किसी मज़हबी इम्तियाज़ के इसका शिकार बनती रहती हैं। मुस्लिम अक्सरियत रखने वाली हिन्दुस्तान की वाहिद रियासत कश्मीर में, हिन्दू अक़ल्लियत को भी इसकी शिकायत है। एक ज़माने में अक़ल्लियत के लिहाज़ से महाराष्ट्र, पंजाब और जुनूब की रियासतों में हिन्दी बोलने वाली अक़ल्लियत लिसानी असबियत के निशाने पर रही है। उर्दू भी लिसानी अक़ल्लियत के हाथों परेशान है। दीगर लिसानी अक़ल्लियत के बारे में भी यह असबियत (पक्षफल) हमारे मुल्क़ में बरक़रार है।

जहां तक हमारे आईन और दस्तूर का तअल्लुक है इसमें मज़हबी, लिसानी अक़ल्लियतों के हुक़ूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और इसकी मज़बूत गारन्टी दी गई है जो किसी भी

पड़ोसी मुल्क के आईन या दस्तूर में नहीं मिलती। इसका सेहरा हमारे मुल्क के सेक्यूलर नजरियात के हामिल और इन्सानी हुकूक़ की पासदारी का ख़्याल रखने वाले उन काईदीन के सर जाता है जिन्होंने आईन–ए–हिन्द को तैयार किया और क़ानून साज़ी करते वक़्त अक़ल्लियतों के हुकूक़ का पूरा–पूरा ख़्याल रखा, यहां यह ज़िक्र बे महल नहीं होगा कि कानून से वाक़फियत रखने वाले जीइल्म और माहिरीने क़ानून के मुताबिक़ अक़ल्लियत की इस्तिलाह (परीभाषा) किसी क़ानूनी रिट या किसी भी ऐक्ट में नहीं दी गई है, यह इजाफी निसबती सिफत है, जो हिन्दुस्तान के सियाक़ व सिबाक़ में मज़हबी या लिसानी ग्रूप की अदबी हैसियत से तअल्लुक रखती है जैसे मज़हबी ग्रूप के तअल्लुक़ से इस्लामी अक़ीदा रखने वाले मुसलमान हिन्दुओं के मुकाबले अक़ल्लियत में हैं, खुद मुसलमानों में मसलकी लिहाज़ से सुन्नियों के मुकाबले शीआ और शीओं के मुकाबले बोहरे वगैरह हैं। इसी तरह हिन्दुस्तान में धर्म के लिहाज़ से आर्य समाजी, जैनी, सिख आन्नद मार्गी और राम कृष्ण के अनुयायी अक़ल्लियत में शुमार होते हैं। ईसाई, बौद्ध और पारसी भी अक़ल्लियत में हैं (सिख हिन्दू नहीं हैं)।

हमारे मुल्क में अक़ल्लियत और अकसरियत का अमली तौर पर कोई दस्तूर माज़ी क़दीम में नहीं था ये लार्ड करज़न की देने है, लार्ड करजन के दौर में सियासी मसलिहत के पेशे नज़र यह तसव्वुर हिन्दुस्तानी मुआशरा के जिस्म में दाखिल किया गया और अंग्रेज़ी साम्राज्य ने इसको सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी पॉलिसी में शामिल किया। इसके तनाजुर में हुकूक़ की सियासत 1906 में शिमला डिपो स्टेशन से शुरू हुई जब सर आगा खाँ ने मुसलमानों के आला तबकों का एक वफ्द लेकर लार्ड मिन्टु से मुलाकात की और मुतालबा किया कि हिन्दू अक्सरियत के मुकाबले हुकूक़ तलबी के मुआमले में पासंग वजन का दरजा मुसलमानों को दे दिया जाए, बाद में लखनऊ ऐक्ट हिन्दू रिपोर्ट, भोला भाई डिसाई रिपोर्ट, सुपर रिपोर्ट और 1929–30 ई0 की आल मुस्लिम पॉलीटिकल कान्फ्रेन्स, अक़ल्लियती हुकूक़ और अक़ल्लियती रवैये के इज़हार का जरिया बना और 23 मार्च 1940 का पाकिस्तान के रिजर्वेशन ने आग में घी का काम किया जो अंत में मुल्क की तक्सीम का बाइस हुआ।

इन हालात की रौशनी में अगर हम देखें तो हिन्दुस्तान में हुकूमत के क़ियाम के वक़्त मरकज़ी क़नून साज असेम्बली, आईन साज असेम्बली में तब्दील कर दी गई और आज़ादी के फौरन बाद भीम राव अम्बेडकर की सरपरस्ती में आईनसाजी का काम शुरू हुआ। अक़ल्लियतों के हुकूक़ के लिये एक सब कमेटी तश्कील दी गई और इस कमेटी का कन्वीनर सरदार बल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इस कमेटी के जरीये आईन में अक़ल्लियतों के हुकूक़ से मुतअल्लिक़ 25,26,27,28,29,30 आर्टिकल के तहत अक़ल्लियतों के लिसानी, तअलीमी और सकाफती हुकूक़ की तदवीन की गई और इन हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की गारन्टी दी गई। यह सब इस आईन के सेक्युलर और जम्हूरी बनियाद पर हुआ, जिसमें तमाम मज़हिब के साथ यकसां एहतिराम और ताजीम की जगह दी गई है और अशोक सम्राट के सर्व धर्म समभाव और अकबरे आज़म के मुसलेह कुल के नजरियात का परतौ है।

आर्टिकल 25 के तहत मज़हबी अरकान और रूसूम की आज़ादी, मज़हबी तब्लीग़ व तशहीर की आज़ादी इस शर्त के साथ दी गई कि लालच या किसी दबाव के

तहत किसी का अक़ीदा या मज़हब तब्दील नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नं0 26 में अक़ल्लियतों को अपनी पसन्द से तअलीमी इदारे, खैराती और मज़हबी इदारे काइम करने और उनको चलाने का हक़ दिया गया और इस मक़सद के लिये जायदाद खरीदने का भी हक रखा गया है।

आर्टिकल नं0 27 में यह गॉरन्टी दी गई कि किसी भी मज़हबी उमूर के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।

आर्टिकल नं0 28 वाज़ेह तौर पर यह ज़मानत दी गई है कि किसी को इसके लिये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह किसी मजहबी रस्म में शामिल हो और यह भी कैद लगाई गई कि किसी सरकारी या सरकारी इम्दाद याफ्ता तालीमी इदारे में मज़हबी रस्म की अदायगी नहीं की जा सकती।

आर्टिकल नं0 29 के तहत अलाहदा ज़बान अलाहदा रस्मुल खत और कल्चर की आज़ादी होगी।

आर्टिकल नं0 30 में मज़हबी और लिसानी अक़ल्लियतों के अपने इदारे के कियाम के साथ इनके इन्तिजाम और इसको चलाने की आज़ादी के साथ आईन में चव्वालिस्वीं तरमीम यह की गई कि अगर किसी अक़ल्लियती इदारे की जायदाद, हुकूमत मफादे आम्मा और फलाहे आम के लिए लेना चाहेगी तो उसको बाजार भाव के मुताबिक़ मुआवज़ा देना होगा और सरकारी अक़ल्लियती तअलीमी इदारों को इम्दाद देने में कोई तफरीक़ या इम्तियाज़ नहीं बरतेगी। अक़ल्लियत को यह हक़ हासिल होगा कि वह अपने तालीमी इदारे में तालीम का मीडियम अपनी ज़बान को रख सकती है और अपना हिसाब और अपने मज़ामिन पढ़ा सकती है और उसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्य समाज के एक केस में की है। इसके साथ अक़ल्लियती तालीमी इदारों में बदइन्तिज़ामी रोकने के लिए रियासतों को भी कानूनसाज़ी का इख़्तियार दिया गया है। सरकार तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की फलाह के लिये भी कानून साज़ी कर सकती है, लेकिन अक़ल्लियतों को तालीमी इदारों के कियाम के इख़्तियारात से महरूम नहीं कर सकती।

इन तमाम आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और दस्तूरी जमानतों और गारन्टी के बावजूद हिन्दुस्तान की अक़ल्लियतें इससे कितना फाइदा उठा रहे हैं और अक़ल्लियतों को उन का फायदा पहुँचे इसमें हमारी सरकारें कितनी ईमानदार हैं और कितना इन्साफ से काम लेती हैं और अक़ल्लियतों के साथ कहां–कहां नाइन्साफी और जियादती हो रही है इसके लिये खुद अक़ल्लियतों को बेदार रहना होगा।

आज़ादी के बाद से अगर आज तक की बात करें तो मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी अक़ल्लियत मुसलमान आज भी गुनागूँ मसाइल से दोचार हैं। मजहबी तअस्सुबात और फिस्ताई ताकतों की जारहियत का शिकार होने के साथ–साथ सरकारी सतह पर इम्तियाज़ी सुलूक़ का शिकार है, जिसको खुली आँखों से देखा जा सकता है लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मुस्लिम कियादत और मुस्लिम तंज़ीमें मुस्लिम अक़ल्लियत के दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ की पामाली पर अभी तक कोई मुअस्सिर किरदार अदा नहीं कर सकी हैं। महज़ जज्बाती नारों, ख़ुश फहमियों और खाम ख़्याली के साथ बिस्मिल्लाह के गुंबद में बन्द है। खुद एहतेसाबी की जुर्अत न कियादत में है और न मुस्लिम अक़ल्लियत में।

(साभार राष्ट्रीय सहारा दि0 06.02.11)

❑❑

ज़बान व सक़ाफ़त की हिफ़ाज़त

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

दिल्ली जाने के लिए लखनऊ से गोमती एक्सप्रेस पर सवार हुआ तो पास बैठे दो सभ्य नव युवक परस्पर बातें कर रहे थे।

पहला व्यक्तिः माता जी अब कैसी हैं?

दूसरा व्यक्तिः ईश्वर की कृपा से अब ठीक होने लगी हैं। परन्तु डॉक्टर जी का कहना है कि कम से कम छः माह तक औषधियाँ चलेंगी, हर माह तक डॉक्टर की फीस मिलाकर लगभग दो हज़ार रूपये लगते हैं।

पहला व्यक्तिः ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपके पिता जी बीस हज़ार वेतन उठाते हैं, उसमें से दो हज़ार रूपये आपकी माता जी पर व्यय हो जाते हैं, कोई बात नहीं माता का आशिर्वाद भगवान की बड़ी निधि है।

दूसरा व्यक्तिः हां यह तो मैंने ऐसे ही कह दिया, यदि माता जी की चिकित्सा, पर इससे अधिक व्यय होता और पिता जी की कुछ भी आय नहीं होती तो मुझे भीख मांगनी पड़ती तब भी मैं माता जी की चिकित्सा हेतु प्रसन्नता पूर्वक भीख मांग लाता मेरे सामने श्रवण कुमार जी का आदर्श है।

इस बात–चीत से मैं पहचान गया कि यह दोनों नव युवक हिन्दू धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। समझने के लिये एक से पूछ लिया आपका शुभ नाम? उत्तर मिला राम दास जब कि दूसरे ने अपना नाम भगवान दीन बताया। इन दोनों नव युवकों ने हिन्दी भाषा में बात की परन्तु अपनी संस्कृति तथा सभ्यता को न छोड़ा, ईश्वर, भगवान, कृपा, दया के शब्दों से उनको पहचान लिया कि वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं।

दूसरी जानिब मुतवज्जेह हुआ। दो नव जवान बाहम गुफ़्तगू कर रहे थे, एक कह रहा था रेलवे वाले ज़रा तवज्जुह नहीं देते, इस गाड़ी में बड़ी कमी यह है कि न नाश्ते का नज़्म न दोपहर के खाने का इन्तिज़ाम। दूसरे शख़्स ने जवाब दिया नहीं ऐसा नहीं है, अभी देखिये तोश मक्खन वाले, ब्रेड आम्लेट वाले नीज़ अनवाअ व अक़्साम के नाश्ते वाले वेन्डर आवाज़ लगाते हुए गुज़रेंगे, आप अपनी पसन्द का नाश्ता कर सकते हैं। पहला शख़्स बोला, हां यह मुझे भी मालूम है, लेकिन बदनज़्मी यह है कि एक से नाश्ता खरीदें, दूसरे से पानी खरीदें तो तीसरे से चाय या काफी, फिर दोपहर का खाना इन अश्या से कैसे हो सकता है जबकि गाड़ी देहली 2 बजे पहुँचेगी उस वक़्त अँतड़ियाँ कुलहुवल्लाह पढ़ रही होंगी। पहला शख़्स अरे मियां यह सफर है सफर में कुछ सऊबतें तो बर्दाश्त करनी पड़ती है या फिर आदमी अपना नज़्म करले। देखिये! मेरी वालिदा ने तहज्जुद के बाद ही मुझे हल्का नाश्ता करा के चाय पिला दी और कुछ पराठे तैयार कर दिये, साथ में कुछ अन्डे भी तल दिये हैं, पानी की बोतल साथ है बस मुझे चाय लेना है, मेरे भाई हम आप कुछ अजनबी तो नहीं, पराठे ख़ासी मिक़्दार में हैं, लीजिए नोश फरमाइये, आपके साथ मैं भी खाऊंगा। फिर दोनों नाश्ता करने लगे। दोनों की बात–चीत शहादत दे रही थी कि यह मुस्लिम घर के नव जवान हैं। कोई भाषा सीखना बुरा नहीं, बल्कि इन्सान जितनी ज़बाने आसानी से सीख सकता है जरूर सीखे, इस दौरे तरक़्क़ी में सारी दुनिया एक कुंबा बन चुकी है। आप घर बैठे मोबाइल या इन्टरनेट के जरीये अमरीका, लन्दन, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह से बातें करते हैं। सारी दुनिया

एक मन्डी हो चुकी है, तिजारत के मैदान में तकरीबन हर मुल्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे में दूसरे मुल्क की ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत सी ज़बाने, ज़बान का दर्जा रखती हैं यानी उनमें लिट्रेचर है, एक हिन्दुस्तानी को चाहिए कि अपने मुल्क की जितनी ज़बाने सीख सकता है सीखे, ताकि बाहम तअल्लुक़ात में आसानियां हों, लेकिन इसके साथ इसका भी ख़्याल रहे कि किसी ज़बान को न हकीर समझे न उससे नफ़रत हो। महाराष्ट्र वालों का यह मुतालबा कि जिसे मुम्बई में रहना है वह मराठी सीखे लेकिन उसके साथ यह भी होना चाहिए था कि हर मराठी अंग्रेज़ी, हिन्दी और उर्दू कम से कम बोलने कि हद तक सीखे और उर्दू, हिन्दी अंग्रेज़ी बोलने वाले से नफ़रत न करे।

एक दीनदार मुसलमान के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वह अपनी मादरी ज़बान के साथ मुल्क की दूसरी ज़बानें खास तौर से इन्टरनेशनल ज़बान अंग्रेज़ी जरूर सीखे ताकि दूसरी ज़बान वालों में इस्लाम का तआरुफ करा सके कि यह तो उसके फराइज़ में दाखिल है। जिसके लिये ये मुमकिन हो कि वह कई–कई ज़बाने सीखे चाहे बोलने की ही हद तक हो।

खूब याद रहे कि अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई गैर ज़बान सीखना और बात है और अपनी सक़ाफत की हिफाज़त और बात है। एक ज़माने से यहां मुसलमान रह रहे हैं, एक अरसे तक यहां हुकूमत भी की, हिन्दू हज़रात से हर तरह के तअल्लुकात रहे ओर बहुत अच्छे तअल्लुकात रहे, लातादाद हिन्दू हज़रात ने उर्दू व फारसी को अपनाया लेकिन अपनी सकाफत को हाथ से न जाने दिया। अपनी किसी गुफ्तगू, निजी तहरीर में कहीं अल्लाह, रसूल का नाम न लाये, रामायण गीता, पुराण और कई वैद भी उर्दू या फारसी में हिन्दू हज़रात ने मुन्तकिल किये, मगर कहीं भी इस्लामी सक़ाफत को करीब न आने दिया, और यह ऐब की बात भी नहीं है लेकिन अफसोस आज हमने इतना तवस्सो पैदा किया है कि हिन्दी ज़बान में जो इस्लामी लिट्रेचर मुन्तकिल कर रहे हैं उसमें अपनी सक़ाफत को खैरबाद कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। ग़ैर मुस्लिम भाईयों को अगर, अल्लाह, रसूल जन्नत, दोज़ख, इबादत, मस्जिद, कियामत वगैरह की जगह ईश्वर, दूत स्वर्ग, नरक, पूजा, उपासना गुह, प्रलय जैसे अल्फाज़ लिखेंगे तो अपनी सक़ाफत बल्कि इन अल्फ़ाज़ के मदलूल ही से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कि इन तमाम अल्फ़ाज़ के मफाहीम हिन्दी ज़बान में पहले से मौजूद हैं।

आज 90 प्रतिशत पढ़ा–लिखा मुस्लिम नव जवान उर्दू रस्मुलख़त से नाबलद है लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी इस्लामी सक़ाफत से ना बलद नहीं है, वह नमाज़, रोज़ा, हज को समझता और जानता है, उसकी उसकी जगह पूजा, उपवास, दान और तीर्थ यात्रा बोलकर बताया या समझाया जायेगा तो उसे इस्लामी सक़ाफत से महरूम कर दिया जाएगा, साथ ही हिन्दू हज़रात के लिये अगर इस्लाम के तआरुफ में यह अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये जायेंगे तो इस्लाम के तआरुफ के बजाए हिन्दू सक़ाफत का तआरुफ होगा। लिहाज़ा दीनी तहरीरों और तक़रीरों में इन बातों का लिहाज़ बहुत ही जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है अभी मुस्लिम घरो में अब्बा, अम्मी, बहन, भाई, खाना, पानी, वग़ैरह अल्फ़ाज़ की जगह माता, पिता, भ्राता, दीदी, भोजन, जल वगैरह ने नही ली है। लेकिन अगर क़ौमी धारे में बहने के जुनून में इन बातों को नज़रअन्दाज़ कर दिया गया तो उर्दू सक़ाफत बल्कि इस्लामी सक़ाफत से महरूमी हो जायेगी और खसारे में पड़ेंगे। अल्लाह अपनी आमान में रखे– आमीन।

❑❑

हज़रत नाज़िम साहिब की रिपोर्ट की तलख़ीस (संक्षेप)

नोटः यह रिपोर्ट हज़रत नाज़िम साहिब नदवतुल उलमा ने मजलिसे इन्तिज़मिया नदवतुल उलमा के सालाना जल्से में अराकीने मजलिस के सामने पेश की, पाठकों की मालूमात के लिये उसकी तलख़ीस (संक्षेप) है।

नदवतुल उलमा का माली साल और (तालीमी साल) दोनों ही शव्वाल से शुरू होकर शाबान पर ख़त्म होते थे, लेकिन अब इन्तिज़ामी मस्लहतों से माली साल को अप्रैल से मार्च तक कर दिया गया है जबकि तालीमी साल पहले ही की तरह क़मरी (चाँद के) महीनों के हिसाब से शव्वाल से शाबान तक चल रहा है।

दारुलउलूम नदवतुल उलमा में अब आलिया ऊला से उल्या सानिया (12–17) तक तालीम होती है, इसके अलावा कुछ तहकीकी (रिसर्च) दरजात भी हैं। इस तालीमी साल में तलबा की ताअदाद बहुत बढ़ गई, इन दरजात में ढाई हज़ार तलबा ने दाखिला लिया, नीचे के दरजात के लिये शहर में कई जगह नज़्म किया गया है जिमें (छठी से लेकर दसवीं तक) तालीम होती है, इन मदरसों में लगभग ढाई हज़ार तलबा पढ़ते हैं। मुल्क के मुसलमानों का रुख़ दारुल उलूम की जानिब बढ़ता जा रहा है इस वक़्त पूरे मुल्क में लगभग 200 मदरसे ऐसे हैं जिनमें दारूल उलूम का निसाब पढ़ाया जा रहा है और उनका दारुल उलूम से इल्हाक़ है। बाहर के मुल्कों में भी नदवतुल उलमा का निसाब मकबूल हो रहा है चुनांचि थाईलैन्ड और नेपाल में ऐसे मदरसे काइम हैं जिन में नदवतुल उलमा का निसाब पढ़ाया जा रहा है। और इन मुल्कों के तलबा हमारे यहां ज़ेरे तालीम हैं।

दारुल उलूम नदवतुल उलमा की जानिब रूजू का बड़ा सबब उसके साबिक नाजिम मुफिक्करे इस्लाम हज़रत मौलाना सै0 अबुल हसन अली नदवी की इल्मी व दीनी शोहरत और उनके अन्दरूने मुल्क व बैरूने मुल्क के दौरे भी हैं। जबकि उसका मोतदिल निसाब भी इस का सबब है।

दारुल उलूम के निसाब में प्राइमरी दरजात से लेकर सानवी दरजात तक 11 साल के कोर्स में तलबा को दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम जैसे हिन्दी ज़बान, अंगेज़ी ज़बान, समाजी उलूम, साइंस हिसाब वगैरह के साथ अरबी ज़बान में लिखने, पढ़ने और बोलने की सलाहियत पैदा की जाती है। दारुल उलूम में आलिया व उल्या दरजात के अलावा हिफ्ज़ के दरजात भी हैं। एक किस्म खुसूसी दरजात की वह है, जिसमें मुल्क के इन्टर या बी0ए0 पास तलबा दाखिला लेकर पाँच साल में आलिम हो जाते हैं, दूसरी किस्म वह है जिसमें बाहर के तलबा को दाखिला मिलता है और उनको अरबी या अंग्रेज़ी के ज़रीये से तालीम दी जाती है। उन को भी पांच साल में आलिम बना दिया जाता है।

मुल्क के वह अरबी मदारिस जिनमें नदवे का निसाब नहीं पढ़ाया जाता वहां के फारिग़ीन के लिये उल्या अदब के दरजात में दाखिला दिया जाता है जिनमें उनको अरबी अदब में माहिर बनाने के साथ ज़रूरी दुनियावी उलूम जैसे सियासत व इक्तिसादियात वगैरह की तालीम भी दी जाती है।

नदवतुल उलमा के बानियों का शुरु से तालीमी निजाम में यह नजरिया रहा है कि दीन और दुनिया की तालीम का अलग–अलग निज़ाम न हो, हमारा तालिबे इल्म फरागत के बाद सियासत, मजहब और मुलाज़मत किसी में नावाकिफ न रहे। नदवे के बानियों ने शुरु ही से इस तरह का तालीमी निज़ाम रखा था कि इब्तिदाई मरहले में यहां का तालिबे इल्म जरूरियाते दीन के साथ जरूरियाते दुनिया से भी भरपूर जानकारी रखता हो, वह दोहरे निज़ामे तालीम के मुखालिफ थे कि जो दीन पढ़े वह दुनियावी उलूम से ना बलद रहे ओर जो दुनिया पढ़े वह जरूरी दीनी मालूमात से नावाकिफ रहे बल्कि यहां का तालिब इल्म न दीनी मालूमात में दूसरों का मोहताज रहे न दुनिया के जरूरतों में दूसरों का मोहताज रहे।

जब मुसलमान इक्तिदार में रहे तो उनके यहां यही तालीमी निज़ाम जारी था, उनका फारिग जहां काजी का फराइज अंजाम दे सकता था वहीं वह अच्छा अमीर व गवर्नर भी होता था और बड़ी तिजारत भी चलाता था, उस ज़माने में खासी तरक्की हुई थी जब कि यूरोप जिहालत की नींद में था लेकिन जब यूरोप जागा तो मुसलमानों ही से साइन्सी उलूम सीखे, मगर वह खोजबीन में बराबर लगे रहे और आज वह साइन्स व टेक्नॉलोजी में बहुत आगे बढ़ गये, अलबत्ता दीन व असलाफ में वह बहुत दूर जा पड़े, इधर मुसलमानों ने जो दुनियावी उलूम में तरक्की की, हालात ने उनको उसी पर इक्तिफा करने पर मजबूर कर दिया और वह यूरोप से बहुत पीछे जा पड़े। अलबत्ता अब मुसलमानों में बेदारी आई है और इस तरफ तवज्जुह हो रही है।

नदवे के मोतदिल निसाब में इस का लिहाज रखा गया है कि नदवे का फारिग़ यकतरफा न रहे वह दुनियावी जरूरतों में दूसरों का मोहताज न रहे और वह जनरल मालूमात में किसी से पीछे न रहे, रही बात विशेषज्ञ की तो नदवा ने दीनी उलूम के विशेषज्ञ बनाने का नज़्म किया है, दुन्यावी उलूम के मुतखास्सिसीन यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज बना गए। अल्लाह का शुक्र है कि इस मैदान में अक़ल्लियती यूनीवर्सिटियाँ और कॉलेज कम नहीं हैं। वह डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे माहिरीन बना रहे हैं लेकिन उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जरूरीयाते दीन की तालीम का अच्छा नज़्म होना जरूरी है, जिम्मेदारों को इस तरफ खुसूसी ध्यान देना चाहिए।

मुसलमानों को चाहिए कि वह इम्कान भर प्राइवेट दीनी मकातिब का नज़्म करें जिन में जरूरियाते दीन और जरूरीयाते दुनिया की अच्छी तालीम का नज़्म हो ताकि वहां से निकले तलबा अगर दुनियावी उलूम में तरक्की करना चाहें, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बनना चाहें तो दीन से कोरे न रहें।

दारुल उलूम की उच्च शिक्षा को तीन बड़े विभागों में विभाजित किया गया है।

1. कुल्लीयतुश्शरीआ़ व उसूलुद्दीन– इस विभाग में जीवन के सभी पक्षों की अल्लाह व रसूल के आदेश (अहकाम) की शिक्षा दी जाती है, तथा यह बताया जाता है कि इन आदेशों के मौलिक साधन क्या हैं इन्हीं को उसूलुद्दीन कहा जाता है।

2. कुल्लीयतुल्लुग़ा अरबिया व अदाबुहा– इस विभाग में अरबी अदब की उच्च शिक्षा दी जाती है।

3. कुल्लीयतुद्दावा व फिक्रुल इस्लामी – इस्लाम से अपरिचित लोगों में इस्लाम का परिचय किस प्रकार दिया जाए और किस प्रकार लोगों में इस्लाम की सभ्यता का प्रचार किया जाए, इस सिलसिले में प्रचारक में क्या ज्ञान और क्या गुण होने चाहिये बताया जाता है तथा यह भी सिखाया जाता है कि समाज में किस तरह काम किया जाए? इन विभागों में उच्च शिक्षा के पश्चात जिन छात्रों में अच्छी योग्यता होती है उन्हें रिसर्च वर्क में लगाया जाता है। उसके भी तीन विभाग हैं।

1. अल–महदुल आली लिल–कज़ा वल–इफ्ता– इस विभाग में तलबा को इस्लामी विधान के अनुसार फैसला करना सिखाया जाता है अर्थात इस्लामी क़ानून का जज (काज़ी) बनाया जाता है साथ ही इस्लामी शरीअ़त के मुताबिक फत्वा देने की शिक्षा दी जाती है अर्थात मुफ़्ती बनाया जाता है।

2. अल–मजमउल इल्मी लिद्दिरासाते फ़ी उलूमुल कुर्आनी वस्सुन्नह – इस विभाग में कुर्आन शरीफ या हदीस से मुतअल्लिक किसी उनवान पर रिसर्च कराई जाती है।

3. अस्सहाफा वल्लिसानियात– इस विभाग में किसी दूसरी ज़बान जैसे हिन्दी या अंग्रेज़ी की शिक्षा दी जाती है तथा पत्रकारिता की मश्क़ कराई जाती है, यह विभाग अब कुल्लियतुद्दावा में सम्मिलित कर दिया गया हैं

अदि्दरासात वालों के लिये कम्प्यूटर का भी प्रबन्ध किया गया है।

दारुल उलूम में जगह की तंगी के सबब सानवी दरजात (मिडिल व हाई स्कूल) की तालीम का इन्तिज़ाम दारुल उलूम से 12 कि0मी0 फासले पर सिकरौरी में किया गया है जिसको "माहद दारुल उलूम सिकरौरी) कहा जाता है इस में 510 तलबा पढ़ते हैं वहां उनके लिये बोर्ड़िग और हर तरह की सहूलतें मुहैय्या हैं। उससे डेढ़ कि0मी0 फासले पर "माहद सिय्यिदना अबी बक्र" है जिसमें प्राइमरी दरजात से आलिया उला तक की तालीम होती हे इसमें 570 तलबा पढ़ते हैं उनके लिये बोर्डिंग और हर प्रकार की सहूलतें उपलब्ध हैं। इन दोनों संस्थाओं का पूरा खर्च नदवतुल उलमा उठाता है। इनके अलावा सानवी तालीम के लिये शहर में भी कई इदारे हैं जैसे माहदुल फिरदौस, आलिया इरफानिया, मज़हरूल इस्लाम, माहद सय्यदुना बिलाल, यह इदारे अपने मसारिफ (खर्च) खुद मुहैय्या करते हैं। इन सस्थाओं के तलबा उच्च शिक्षा के लिये वहां से फारिग़ होकर दारुल उलूम में दाखिला लेते हैं।

इब्तिदाई तालीम के लिए शहर में 12 मकातिब हैं, जिनमें ज़रूरियाते दीन और स्कूलों के मेयार की जरूरियाते दुनिया की तालीम दी जाती है।

इन मकातिब में लगभग 1200 तलबा पढ़ते हैं, उनको 60 टीचर पढ़ाते हैं, उनकी देखभाल और इनका खर्च नदवा उठाता है। ज़रूरत है कि इस तरह के और मक़ातिब शहर में खोले जाएं ताकि जो मुस्लिम बच्चे दुनियावी तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं वह प्राइमरी दरजात में जरूरियाते दीन से वाकिफ़ हो कर आगे बढ़ें।

दारुल उलूम के अहाते (परिसर) में "कुतुबखाना शिब्ली नोमानी" नाम से जो लाइब्रेरी है अब वह मुल्क की अहम लाइब्रेरी में से एक है, जिस में लगभग पौने दो लाख किताबें हैं। इस लाइब्रेरी से दूर–दूर से रिसर्च स्कालर आकर लाभ उठाते हैं।

इसके अलावा उक्त तीनों कुल्लीयात में भी लाइब्रेरियां हैं जिनमें उन कुल्लीयात से सम्बन्धित पुस्तकें हैं इनके अलावा पांच बोर्डिंग में अलग–अलग वाचनालय हैं। उनमें भी किताबों की खासी तादाद है जिनसे बोर्डिंग के तलबा फाइदा उठाते हैं।

नदवतुल उलमा के अंतर्गत दारुल उलूम के अहाते ही में सहाफत व नशरियात का विभाग है। जिसका काम दारुल उलूम की दरसी किताबें छापना है, साथ ही उसके प्रबन्ध में "अलबासुल इस्लामी" मासिक और अलराइद नामी अरबी की पाक्षिक पत्रिका निकलती है "तामीरे हयात" नामी उर्दू की पाक्षिक पत्रिका निकलती है जो पूरे देश में पढ़ी जाती है "सच्चा राही" नाम से हिन्दी मासिक और "फ्रीग्रेन्स" नामी अंग्रेज़ी मासिक पत्रिका भी निकलती है। मीडिया विभाग भी है, उसके अंतर्गत इन्टरनेट है, जिसका काम इस्लामी आवश्यक बातें इन्टरनेट पर लाना तथा मीडिया में इस्लाम विरुद्ध आई बातों का इन्टरनेट द्वारा नोटिस लेना है।

नदवतुल उलमा का एक अहम शोबा (विभाग) शोब–ए–तामीर व तरक़्की है, इसका अहम काम असातिज़ा के ज़रिये नदवतुल उलमा के लिये मालियात की फराहमी है, इस के 12 मुहस्सिलीन पूरे साल पूरे मुल्क में दौरे करके चन्दा लेते हैं, तामीर का काम भी इसी शोबे के ज़िम्मे है।

शोब–ए–दावत व इरशाद और शोब–ए–इस्लाहे मुआशरा यह दोनों शोबे तालीमे दीन और इस्लाहेमुआशरा से मुतअल्लिक लिट्रेचर छाप कर तक़्सीम करने और ज़रूरत पर जल्से करके तकरीरों का नज़्म करते हैं। शोब–ए–दावत व इरशाद के प्रचारकों ने इस साल 100 से ज़ियादा जल्सों में तकरीरें कीं। शोबे की जानिब से कई मस्जिदों में मकतब काइम हैं।

शोब–ए–पयामे इन्सानियत भी नदवतुल उलमा का अहम शोबा है। जो इस्लाम के तआरुफ और इन्सानी अख़लाक़ से मुतअल्लिक इस्लामी लिट्रेचर छाप कर पढ़े लिखे गैर मुस्लिम हज़रात को इन्सानियत का पयाम पहुँचा कर मुल्क में बाहमी मेल, महब्बत और यक्जिहती पैदा करने का काम कर रहा है।

आलमी राबित–ए– अदब इस्लामी का तअल्लुक अगरचि नदवा से नहीं है लेकिन चूंकि नदवे के ज़िम्मेदार उससे मुन्सलिक रहे हैं इस लिये उस का दफ्तर भी अहात–ए–नदवा में है और पूरे मुल्क में उसके अदबी जल्से होते हैं और उसका अदबी रिसाला कारवाने अदब यहीं से शाये होता है।

ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सद्र चूंकि नाज़िम नदवतुल उलमा हैं इसलिये उसकी सरगर्मियां भी नदवे से मुतआरिफ रहती हैं।

अहाता–दारुल उलूम में डॉ अब्दुल अली हसनी नाम से एक अस्पताल है जिसमें रोजाना शहर से कोई न कोई डॉक्टर आता है और मरीज तलबा का इलाज़ करता है। इससे तलबा को बड़ी सहूलियत मिल जाती है। यह डॉक्टर एलोपैथिक के भी हैं और होम्योपैथिक के भी। नीज़ यूनानी भी। इन डॉक्टरों में बाज़ मामूली अलाउंस लेते हैं बाज़ फ्री सर्विस देते हैं। होम्योपैथिक दवायें तलबा और स्टाफ को मुफ़्त दी जाती हैं लेकिन एलोपैथिक दवाएं लागत कीमत पर तलबा को मुहैय्या की जाती हैं।

❖❖❖

मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

—मौलाना मुहम्मद सानी हसनी रह0

मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन
मजलिस हमारी अंजुमन, हम हैं वक़ारे अंजुमन
सेहरा व बन हमसे चमन, हमसे रवां गंगो जमन
हिन्दुस्ताँ अपना वतन, अपना वतन, प्यारा वतन
हम बुए गुलहाये चमन हम मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

हम हैं वतन के पासबां, मिल्लत के हैं हम तरजुमां
हम हैं चमन के बाग़बां, बादेसबा अंबर फिशां
हम दीने हक़ के कारवां इल्म व अमल के कहकशां
हम नाज़िशे हिन्दुस्ताँ, हम नाज़िशे हिन्दुस्ताँ
हम बुए गुलहाये चमन हम मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

बेबाक हम, खुद्दार हम, हम हक़ के अ़लम बरदार हम
कुचले हुए तबक़ों के हैं हमदर्द हम ग़मख़्वार हम
करते हैं जुल्म व जौर के आतिश कदे गुलज़ार हम
करते हैं बेख़ौफ व ख़तर हक़ बात का इज़हार हम
हम बुए गुलहाये चमन हम मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

कमज़ोर के दमसाज़ हैं, लाचार के हमराज़ हैं
शाहीन हैं, शहबाज़ हैं, हम मायले परवाज़ हैं
हम क़ौम की आवाज़ हैं मुल्क व वतन का साज़ हैं
मिल्लत का हम एजाज़ हैं, सरमाय–ए–सद नाज़ हैं
हम बुए गुलहाये चमन हम मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

हम हैं महब्बत के अमीन, हम ख़न्दारु रौशन जबीं
हम राहे हक़ राहे मुबीं, मन्ज़िल पे है हमको यकीं
मजलिस के हैं हम खोशाचीं, पर्चम हमारा है हसीं
हर नूरे हक़ नूरे मुबीं, सद आफरीं सद आफरीं
हम बुए गुलहाये चमन हम मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

बख़्शा हमें अल्लाह ने सोज़े अरब साज़े अजम
लेते हैं नाम अल्लह का, हम कू बकू को, हम यम ब यम
हमसे है अज़मत मुल्क की हमसे है मिल्लत का भरम
हम बरगे गुल रंगे चमन, नूरे सहर अब्रे करम
हम बुए गुलहाये चमन हम मेहरे ताबां की किरन
मुस्लिम हैं हम, हमसे वतन, हमसे वतन का बांकपन

❖❖❖

(देवनागरी लिपि में उर्दू)

मुसलमानों की मिल्ली तअ़मीर का मसअ़ला

—हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी

इन्सानी ज़िन्दगी की दुरुस्तगी और हुस्न उसके तरबियती निजाम पर काइम है, यह तरबियती निजाम माँ बाप और घर के मुस्लेहीन और समाजी काइदीन एवं मुतअल्लेकीन निजामे तालीम व तरबियत तक जाता है, और खुश कुन व पसन्दीदा नताइज के पैदा होने में इन तीनों ज़राये के अच्छे होने का बड़ा हिस्सा है। ज़िन्दा क़ौमों में इस अहम मसअले की तरफ बड़ी तवज्जुह दी जाती है और फिर उसके बेहतर से बेहतर मतलूबा नताइज हासिल किये जाते हैं। दूसरी तरफ ऊँघती सोच और लाउबाली मिज़ाज रखने वाली क़ौमों में उसकी तरफ से गफलत बरती जाती है। फिर इन क़ौमों को इस गफलत के संगीन नताइज भुगतने पड़ते हैं।

तारीख में इसकी दोनों तरह की मिसालें खूब मिलती हैं, और क़ौमों के उरूज व ज़वाल के असबाब में इस बात का बुनियादी हिस्सा है। इस्लामी ज़िन्दगी तरबियती काम से मजबूत हुई और वह एक ऐसी क़ौम थी जो मुन्तशिर भी थी, मज़हबी लिहाज़ से गुमराह और दुनियावी लिहाज़ से पसमांदा थी, उसकी तरबियत कुर्आन और उसूल–ए–इस्लाम के ज़रिये ऐसी हुई कि न सिर्फ वह अपने ज़माने के काइद, मुअ़ल्लिम और रहबर बनी बल्कि मज़हब, इल्म, स़काफत व तमद्दुन सब की उसने एक अज़ीम तारीख़ बना दी, जिसके वरसे व सरमाये से मुसलमान क़ौमें सदियों फायदा उठाती रहेंगी। मौजूदा दुनिया के काम को मौजूदा ज़माने के सामने रखते हुए तीन पहलुओं पर तक़सीम किया जा सकता है, एक पहलू उमूमी रहनुमाई और तरबियत का है जो घर के अन्दर घर के बड़ों और घर के बाहर काइदीन मुस्लेहीन और आम मुख्लेसीन से तअल्लुक रखता है और दूसरा पहलू तअलीमी निजाम से तअल्लुक रखता है। और तीसरा पहलू दीगर इत्तिलाआ़ती व नशरियाती ज़राये से तअ़ल्लुक़ रखता है, तरबियत के यह तीनों पहलू नौख़ेज़ नस्ल की तो बाक़यदा तश्कील करते हैं, बड़ी नस्लों को जो तअलीमी निज़ाम से गुज़र चुकी हैं या जिन को उससे वास्ता नहीं पड़ा उनको भी बकिया उनमें से दो पहलू बड़ी हद तक मुतअस्सिर करते हैं और उनके मिज़ाज व ज़ेहन पर असर डालते हैं।

ज़रूरत है कि हम मसअला को बारीक़ी के साथ देखें और ग़ौर करें कि मुसलमानों को उस रुख़ से क्या नुकसान पहुँच रहा है और उनकी सही तश्कील में क्या बिगाड़ पैदा हो रहा है।

मसअला सिर्फ नौख़ेज नस्ल का ही नहीं बल्कि बड़ी नस्लों को मज़हब का वफादार और मुसलमानों के तहज़ीबी व नज़रियाती अक्दार का पाबंद किस तरह रखा जायं? यह एक अहम मसअला है अगर उसकी फिक्र नहीं की जाती है तो मुसलमानों की तहज़ीबी व नज़रियाती ज़िन्दगी का बतदरीज तहलील हो कर दीगर किसी क़ौम के मज़हबी, तहज़ीबी व नज़रियाती सांचों में ढ़ल जाना बिल्कुल मुसतबअ़द नहीं।

हिन्दू क़ौम के मुतअ़ल्लिक बाज़ अहले तहक़ीक व मुताला ने लिखा है कि मुसलमानों के पूरे दौरे इक़्तिदार में उनके घरों के अन्दर औरतें, बच्चों के लिए हिन्दी और अपनी मज़हबी बुनियादी

तअलीम व तरबियत का नज़्म रखती रहीं और हिन्दू ताजिर अपने तिजारती बही खाते हिन्दी में रखते रहे, उसकी बिना पर मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म होते ही हिन्दू तहज़ीब व मज़हब अपनी पूरी ज़िन्दगी के साथ उभरकर आ गया, हिन्दू तहज़ीब की हिफाज़त में उनकी औरतों ने बड़ा नुमायां हिस्सा लिया और घरों के अन्दर उसको बराबर क़ायम रखा, जिसकी वजह से उनकी नई नस्लें सक़ाफती तहलील से महफूज़ रहीं। मुसलमानों के घरों में तक़सीमे हिन्द के क़रीब तक इस्लाम से वाबस्ता रखने के लिए उस तरह के एक इन्तिज़ाम की मिसाल मिलती है और वह मिसाल यह है कि बच्चों, बच्चियों को उनमें समझ आते ही कुर्आन व उर्दू की हरफ शनासी कराना शुरु करा दिया जाता था, और बच्चा जब स्कूल व मदरसा जाने के क़ाबिल होता तो वह कुर्आन मजीद के नाज़रा के मरहले से गुज़र चुका होता था उसके साथ–साथ बच्चों की माएं और बड़ी–बूढ़ियां बच्चों के वालिद और बड़े उनको इस्लाम के बुनियादी मुआमलात से बातों बातों में वाक़िफ करा देते थे, अंबिया अलैहिस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्ल0 के साथ एक उम्मती होने का रब्त व तअल्लुक़ पैदा कर देते थे और उनके दिलों में यह फख्र पैदा कर देते थे कि वह मुसलमान हैं और मुसलमान ही मेयारी इंसान होता है।

लेकिन यह रवाज़ तक़्सीम–ए–मुल्क के बाद ही कम होता चला गया और उसकी जगह रेडियो व टेलीविज़न के प्रोग्रामों ने और खेल के माहेरीन के नामों और कारनामों ने ले ली है, आज एक मुसलमान बच्चे से अंबिया के सिलसिले में कुछ पूछा जाये तो उनसे नावाक़िफ निकलेगा, लेकिन क्रिकेट के खिलाड़ियों के पूरे हालात जानता होगा, लिखी हुई चीज़ों को सामने रख दिया जाये तो कुर्आन मजीद और अरबी–उर्दू अल्फाज़ के पढ़ने से कासिर होगा उसके बजाये वह हिन्दी या अंग्रेज़ी का हरफ शनास पाया जाएगा।

अब वालिदैन को उसकी फुर्सत नहीं कि वह अपने बच्चों के दिमाग़ में कोई ऐसी बात डाल सकें जो उनको उनके मजहब व तहजीबी अक़्दार से रौशनास करा सके, उसका एक नतीजा यह है कि ये बच्चे जो अपने घरों से अपने मज़हब और अपने तहजीबी अक़्दार से बेगाना निकलते हैं, क़ौमी निज़ाम–ए–तअलीम के धारे में पड़ने के बाद किसी भी तहज़ीबी और मज़हबी रुख़ को इख़्तियार कर सकते हैं।

घर के दायरे से आगे बाक़ायदा तालीम का मरहला आता है उस पर नज़र डाली जाये तो उस सिलसिले में भी फज़ा बिल्कुल तारीक नजर आती है, किसी क़ौम के उसके अपने अक़्दार पर कायम रखने के लिये उसके तालीमी निज़ाम में सबसे अहम मसला ज़बान का और ज़हनी तश्कील देने वाले मज़ामीन का होता है, उन्हीं से फर्द की शख़्सियत बनती है और उसके किसी मुतअय्यन सांचे में ढ़लता है। और यह मसला कोई जुज्वी या महदूद मसला नहीं है, बल्कि बहुत हमागीर और नतीजाखेज़ मसला है। उससे न कोई मज़हबी सोसाइटी अपने को मुसतग़नी समझ सकती है और न कोई नामज़हबी सोसाइटी। उससे कौम के अफराद में ज़िम्मेदारियों का एहसास पैदा होता है और उनके लिये जद्दोजहद करने का जज़्बा पैदा होता है, ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये बेहद अहम और बुनियादी मसला है। अक़्वाम व मिल्लत के लिये उसकी हैसियत मौत व जीस्त के सबब की होती है।

जहाँ तक ज़बान के मसले का तअल्लुक है तो उसकी अहमियत सिर्फ यही नहीं है कि वह उसके बोलने और इस्तेमाल करने वालों के दरमियान एक मानूस और पसन्दीदा ज़रिया–ए–राबिता है, बल्कि उसकी अहमियत उसके इस्तेमाल करने वालों के ज़हनों और रूजहानात पर उसके असर में भी खासी है। ज़बान के अल्फाज़ व जुम्ले, मुहावरे, तलमीहात और फिक्रे अपनी मख़्सूस शख़्सियत रखते हैं और उनका छोटे पैमाने पर तक़रीबन वही असर होता है जो मुख्तलिफ लोगों से मिलने से होता है। जिस तरह इंसानों में मुख़्तलिफ ख़याल और सोच पाई जाती है कि किसी से मिलने पर नेक ख़्सलत इंसान का परतव मिलता है और किसी से मिलने पर बदनियत इंसान का साया महसूस होता है और किसी से मिलने पर एक मुसलमान की मुलाक़ात का लुत्फ मिलता है, और किसी मुलाक़ात पर काफिर की परछाईं नज़र आती है। यही बात ज़बान के अल्फाज़ और फिक़्रों में भी मिलती है। इबादत और पूजा और प्रेयर सलाम और प्रणाम अल्लाह, परमेश्वर, गॉड के अल्फाज़ अपने अलग– अलग तअस्सुरात देते हैं, अगरचि माअना के इतेबार से एक दूसरे के मुरादिफ समझे जाते हैं, इबादत के लफ्ज़ से कोई शख़्स नमाज़ की हैअत में ये इस्लामी तरीक़े पर ज़िक्र करते हुए तसव्वुर में आता है और पूजा के लफ्ज़ से मन्दिर और बुत का तसव्वुर उभरता है, सलाम के लफ्ज़ से अस्सलामु अलैकुम कहता हुआ कोई मुसलमान आँखों में फिर जाता है और प्रणाम के नाम से कोई शख़्स हाथ जोड़ कर आदाब बजा लाता हुआ मालूम होता है। जिसके मुतअल्लिक वह दरअस्ल पूरी तहज़ीब है। वह निज़ाम–ए–अख़्लाक़ है, वह मज़हब है। सिर्फ ज़बान की तअलीम से किसी के भी ज़ेहन को एक मज़हब से दूसरे मज़हब की तरफ, एक तहज़ीब से दूसरी तहज़ीब की तरफ मुन्तक़िल किया जा सकता है।

हिन्दुस्तानी मुसलमान उर्दू से दस्त बरदार होते हुए, अफसोस है कि यह नहीं सोचते है कि वह अपनी नस्लों को कहां से कहां मुन्तक़िल करने जा रहे हैं।

ज़बान के असरात आम ज़िन्दगी में भी पड़ते हैं और निज़ामे तअलीम पर भी पड़ते हैं, निज़ामे तअलीम में ज़बान की तअलीम अपने अलग क़िस्म के असरात और फवायद रखती है, इसी लिए तमाम ज़िन्दा क़ौमें ज़बान की तअलीम और ज़बान के मसले समझती हैं और उस पर मोफाहेमत हो जाये तो सब से मुकद्दम ज़रूरत यह होती है कि उस नई ज़बान के अपनी तहज़ीब में समा जाने से अपनी ज़बान पर जो ग़लत असरात पड़ सकते हैं उनके तदारूक व इज़ाफी तदाबीर इख़्तियार करने की ज़रूरत है।

जहाँ तक उन मज़ामीन का तअल्लुक़ है जो ज़हनी तश्कील का फर्ज़ अंजाम देते हैं उनमें अदब, तारीख़, सियासत, अख़्लाक़ और दीगर समाजी मज़ामीन खास तौर पर क़ाबिले ज़िक्र हैं, उन मज़ामीन के ज़रिए हर तरह का असर कारेईन के ज़हनों और दिलों पर डाला जा सकता है, मुवाफिक़ और मुतज़ाद तसव्वुरात पैदा किये जा सकते हैं, उनके जरिये इन्सानी ज़हनों में तब्दीली लाने का काम पूरी कामयाबी से किया जा सकता है, यह वह मज़ामीन हैं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी उनसे यह सर्फे नज़र नहीं करता, अगर तअलीम गाह के मरहले में यही न मिले तो आम इल्मी ज़िन्दगी में राबिता क़ायम कराया जाता है और फिर उन मज़ामीन का मवाद फराहम करने वाले अपने कारेईन के जहनों को अपने शीशे में उतार लेते हैं।

तारीख में औरंगज़ेब रह0 को जिस तरह बदनाम किया गया और मुसलमान हुक्मरानों की जो खराब तस्वीर पेश की गई, उससे आम पढ़े लिखे मुसलमान कितनी बड़ी तअदाद में मुतअस्सिर हुए और उनको अपने असलाफ के उस तबके से नफरत का एहसास होने लगा, इसमें कुसूर किस का था, कुसूर दर अस्ल खुद मुसलमानों का था कि उन्होंने ग़ैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीख़ को अपनी मालूमात का ज़रिया बनाया और नई नस्ल के लिए उसी को अमली सरमाया बनाया, लेकिन जब बाज़ मुसलमान माहेरीने तारीख़ा ने उन ग़लतफहमियों का पर्दा चाक किया तो बहुत से लोगों के ज़हन दुरुस्त हुए, लेकिन फिर भी कितने ऐसे ज़हन हैं जो अभी तक नये वज़ाहती लिट्रेचर तक नहीं पहुँच सके, और यदूनाथ सरकार की लिखी तहरीरों को आखिरी और मुस्तनदतरीन माअख़ज़ समझते हैं।

इल्मे अख़्लाक़ एक वसीअ इल्म बन चुका है, जिसमें यूरोप के बड़े बड़े मुफक्केरीन ने अपनी मेहनते तहक़ीक से रंगआमेज़ी की है और पढ़े–लिखे लोग उमूमन उसी से मुतअस्सिर हैं, उनके तअस्सुर सिर्फ उनको बुरा कहने से दूर नहीं किया जा सकता, वह इल्मी व तजुरबाती बुनियादों का सहारा लेते हैं। उनके तोड़ के लिए हम अगर उसी मेयार का जवाब नहीं तैयार करते तो हम उनके बनाए हुए तसव्वुरात और ख़्यालात बदल नही सकते, इस वक्त मुसलमानों का इल्मी क़ाफिला उमूमन उन्हीं तसव्वुरात व ख्यालात के जिलो में चल रहा है।

जदीद यूरोप ने फलसफा और नफ्सियात के दायरों में बहुत से नज़रियात अपनाये हैं जिनकी बुनियाद इल्हाद व माद्दापरस्ती पर और किसी हद तक बिगड़ी हुई ईसाईयत पर है, लेकिन उन नज़रियात पर इल्मी तहक़ीक़ और तजुरबाती नतायज का ग़ेलाफ चढ़ाकर उनको मुअस्सिर और खुश्नुमा बना दिया है। सो मश्रिकी मुमालिक की दरसगाहों मे आज उसकी तरवीज और चलन है और जदीद तालीमयाफ्ता इंसान उनका खासी हद तक शिकार है ,क्योंकि उसके पास मुनासिब और मुतमइन करने वाली ज़बान व तरीक़े इस्तिदलाल में ज़रूरत की किताबें नहीं, जिनको वह जदीद युरोप से आगे हो कर, इल्मी सरमाया का बदल समझ सके।

अफसोस यह है कि हमारे दीनी मदारिस व जामियात भी इस ज़रूरत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अपने यहाँ के खोशचीनों को ऐसा सरमाया नहीं दे रहे हैं जो उनको अपने फिक्री मुअतकिदात और अपने तहज़ीबी मामूलात को सही तौर पर समझने और मुखालिफ ख़्यालात के बुतलान को जानने का ज़रिया बन सके, और "जान जॉक युकावली" ने जिस जम्हूरियत का ज़हन बनाया, "डारविन" ने इंसान की जो हक़ीक़त बताई "फराएड" ने इंसानी जज़्बात की जो बुनियाद मुतअय्यन की, "जान बोल सारटर" ने इंसान का जो मकाम व जरूरत तय किया, "युकावली" ने सियासत व ताक़त का जो फलसफा मुकर्रर किया, "मार्क्स" ने इंसानी समाज का जो निज़ाम बनाया वह सब महज़ सरसरी दावों पर नहीं मुतअय्यन किया बल्कि उनके साथ जबरदस्त इल्मी इस्तिदालात का अंबार लगा दिया। अगर हम इल्म को इल्म से ज़ेर नहीं करते तो हम मग़लूब होने पर मज़बूर होंगे क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है। हिन्दुस्तान में उन फलसफों में एक इज़ाफा मक़ामी ग़ैर इस्लामी फलसफा का हो रहा है जो उन पर मुस्तज़ाद है। अस्रेजदीद की तालीमगाहें और इल्मी इदारे उन्हीं सब फलसफों और निज़ामों के साये में चल रहे हैं और उनसे मुसलमानों की जदीद नस्लें भी वाबस्ता हैं। उनके सिर्फ

चन्द अफराद को हमारी खालिस दीनी दरसगाहें और इदारे किसी तरह हासिल कर लेते हैं और उनको इस्लामी रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तो उनकी तादाद दीगर अफराद की तादाद के लिहाज़ से दोचार फीसदी से ज़्यादा नहीं, मज़ीद यह कि उनके लिये तयकरदा निज़ामे तअलीम में समाजी मज़ामीन का अल्लाओलूम कोई हिस्सा नहीं, उसकी नागुज़ीर जरूरत के लिये हमारी उन दरसगाहों के तलबा अस्रेजदीद के उमूमी धारे में बहने पर मजबूर होते हैं यानी उनको उस सिलसिले में वही लिट्रेचर मुताअला के लिये है जो ग़ैर इस्लामी ज़ेहन और ग़ैर इस्लामी ख़्यालात की असास पर तैयार किया गया है और बराबर किया जा रहा है। हमारे तरबियती निज़ाम में आम माहौल और तालीमगाहों के पहलुओं का तो यह हाल है जो हमारे नई नस्ल को किसी दूसरे रुख़ पर बहाने के लिए काफी है। उस पर मुस्तज़ाद तरबियती निज़ाम का तीसरा पहलू है जो इत्तिलाअती व नशरियाती ज़राये से तअल्लुक़ रखता है, रेडियो और टेलीविज़न और रोज़नामे तरबियत का मुनज़्ज़म निज़ाम बने हुए हैं, और तसव्वुरात व मुअतक़िदात को नये सांचों में ढालने का काम कर रहे हैं, शिर्क व कुफ्र, फिस्क़ व फुजूर कत्ल व दहशतगर्दी से मानूस किया जा रहा है और माद्दा परस्ताना ज़ेहन को जिस तरह उभारा जा रहा है कि अगर तअलीम और उमूमी माहौल के जरिये बिगाड़ पैदा होने में कोई कमी रह गई है तो उस कमी को बदरजा अतम पूरा करने का फर्ज़ अंजाम दे रहा है।

इन तमाम सूरतेहाल के मुक़ाबिले के लिये हमारे पास क्या तरीका व जरिया है? अव्वल तो मुसलमानों के अहले इल्म व फिक्र तब्के को सूरते हाल का सही जायज़ा लेना चाहिये और फिर उनके लिय अमलन जो तदाबीर इख़्तियार करना जरूरी है, वह जहाँ तक हो सके इख़्तियार करनी चाहिये, इस वक़्त हमारी मिल्लत की बड़ी मुसीबत ये है कि तक़रीरों और तहरीरों के जरिये मिल्लत की जो खिदमात अंजाम दी जा रही है, उमूमन उसी पर इक्तिफा किया जा रहा है हालांकि बुनियादी जरूरत ठोस और अमली काम की ज़्यादा है।

मेर नज़दीक इस वक़्त पाँच नोकात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है।

1. एक तो मुसलमान घरों में जहाँ तक हो सके ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि उससे नई नस्ल के अफराद अपने मज़हब अपनी सक़ाफत का अव्वलीन दरस जरूर हासिल करलें इसके लिये घरों के अंदर इख़्तियार किया जाने वाला पुराना तरीक़ा दोबारा रायज करना चाहिए कि वालिदैन और घर के बड़े उसकी फिक्र करें कि बच्चे–बच्चियाँ समझ की उम्र तक पहुँचते ही कुर्आन मजीद और दीन की बुनियादी बातें जान लें ख्वाह माँ–बाप खुद यह काम करें या घर की दीगर बड़ी–बुढ़ियाँ अंजाम दें, घर के अन्दर उसी इब्तिदाई उम्र में बच्चों, बच्चियों को अपने मज़हब अपने रसूल और अपने बुजुर्गों और मोटे मोटे तहज़ीबी मुआमलात बता दिये जायें और उनमें अपने मज़हब से तअल्लुक़ व मुहब्बत का जज़्बा पैदा कर देना चाहिये यह काम कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी मुसलमानों की वह नस्ल बाक़ी है जिसने उसी तरीक़े से अपने दीन और उसके बुनियादी मुआमलात को अपने बड़ों से सीखा और जाना है, रात में माँ–बाप अपने बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं उनके अपनाने में भी इस मक़सद को पेशेनज़र रखा जा सकता है और उनसे भी

बड़ा काम लिया जा सकता है। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न और अख़बारात व रसाएल से इस्तिफादा के सिलसिले में एतदाल और कन्ट्रोल क़ायम करना चाहिए ताकि कम अज़ कम उनके मुज़िर और वक़्त को ज़ाये करने वाले प्रोग्राम बच्चों, बच्चियों और घरवालों को कम से कम नुकसान पहुँचायें, इसी के साथ–साथ वक्तन फवक़्तन ऐसे उमूर की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए जिन से अख़्लाक़ व सीरत के बनने में मदद ली जा सकती है। ये सब काम आसानी से उठते बैठते, चलते फिरते हो सकता है इसके लिए सिर्फ फिक्र व एहसास की ज़रूरत है। किसी बड़े इन्तिज़ाम की जरूरत नही है।

2. दूसरा नुक्ता यह है कि तअलीमी निज़ाम के हुकूमती इन्तिज़ाम में होने की वजह से तमाम स्कूल और तअलीमगाहें ऐसी तअलीम से खाली हैं जिनसे इस्लामी मज़हब व सक़ाफत को मदद मिल सकती है और मुसलमानों की नई नस्ल के तलबा का तकरीबन 95 फीसद हिस्सा उन्हीं मे पढ़ने जाता है, उनकी तअलीमगाहों को तो हम काबू में नहीं ला सकते लेकिन यह ज़रूर कर सकते हैं कि अक़ल्लियती तअलीमगाहें कायम करने की जहां तक गुन्जाइश हो उसको इख़्तियार करें। नीज़ ऐसे ज़िमनी मकातिब बकसरत कायम कर सकते हैं जो हुकूमती दरसगाहों के पहलू ब पहलू जिम्नी तौर पर उन मज़ामीन की तअलीम मुहैय्या कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे तलबा को नागुज़ीर है।

3. तीसरा नुक्ता यह है हम अपने मुआशरों के मिज़ाज व रंग को जहां तक हो सके इस्लामी रखने की कोशिश करें जहां हमारी आबादियां हैं, मस्जिदें हैं, वहां हम अख़्लाकी सतह पर रोक टोक और तवज्जोदिहानी के ज़रिये माहौल को ख़राब होने से बचाने की कोशिश करें, वक्तन फवक़्तन ऐसे मवाक़े लाने की कोशिश करें जिन से अहलियाने मुहल्ला को इस्लाम की असासियत व मुहिम्मात से वाकफियत होती रहे या वह ताज़ा होते रहें।

4. चौथा नुक्ता यह हे कि हमारे दीनी व इस्लामी मदारिस अपने निसाब की तरबियत में इस का ख़्याल रखें कि मुसलमानों को अपनी ज़िन्दगी में जिन उमूर से साबिक़ा पड़ता या पड़ सकता है उनके बारे में ज़रूरी और बेहतर से बेहतर मालूमात हासिल हों और उनकी ऐसी रहनुमाई हो कि वह उनके बारे में अपनी जरूरियात के लिहाज़ से बेहतर से बेहतर मालूमात और नुक्त–ए–नज़र बना सकें और रख सकें। इसमें खास तौर पर तारीख आलमे इस्लाम के सिलसिले में मालूमात, सियासी मालूमात, अख़्लाक़, इल्मुन्नफ्स, और फलसफा के सही इस्लामी, नज़रियात और इल्म व तालीम के सिलिसिले में सही इस्लामी नुक्त–ए–नज़र और मुख़्तलिफ समाजी इमरानी मज़ामीन जिनसे मौजूदा ज़िन्दगी को साबिक़ा पड़ता रहता है, काबिले ज़िक्र हैं। इसलिये कि अगर हमारी दीनी इस्लामी तअलीमगाहों में उनकी तरफ तवज्ज़ो न की गई तो यह मज़ामीन व माअलूमात तलबा दूसरे और ग़ैरों के इल्मी सरचश्मों से हासिल करेंगे, वह उनसे सर्फ नज़र न कर सकेंगे, और ग़ैरों से हासिल करने की सूरत में उनसे नुक़्सानात वाज़ेह हैं।

5. पाँचवां नुक्ता यह है कि सहाफत और लिट्रेचर की तरफ भी तवज्जो की जाये क्योंकि हम राएजुलवक़्त सहाफत व लिट्रेचर को रोक नहीं सकते जिसके जबरदस्त असरात ज़हनों और ख़्यालात पर पड़ रहे हैं, लिहाज़ा उनका मुतबादिल मुहैय्या करना और कारेईन की तलब को पूरा करना ही उसका सही हल है। ❑❑

शहद

—इदारा

शहद गिज़ा (आहार) भी है और दवा भी, यह गिज़ाइयत के लिये बड़े काम की चीज़ है, चीनी के मुकाबले में जल्द हज्म होता है, दूध में मिला कर पीने से पूरी गिज़ा की हैसियत रखता है, बदन की परवरिश करता है और बदन में कुव्वत व हरारत (शक्ति तथा गर्मी) पैदा करता है। खाना खाने के बाद एक दो चम्मच शहद चाट लेने से खाना हज्म होने में मदद मिलती है। नाश्ते में इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, गर्मियों में इस का शरबत बना कर नींबू का रस मिला कर पी सकते हैं बदन में ताक़त पैदा करने के अलावा यह गर्मी की सख़्ती से भी बचाता है और गर्मियों में सख़्त मेहनत के बाद की थकान को दूर करने और जिस्म में नई ताक़त पैदा करने के लिए लाजवाब असर रखता है और सर्दियों में चीनी के बदले दूध या चाय में मिलाकर पीने से बदन में कुव्वत और गर्मी पैदा करता है, बच्चों और जवानों, और बुडढ़ों सबके लिए लाभदायक है।

दवा के लिहाज से भी शहद अच्छी चीज़ है, चुनांचि फालिज और लक्वा में शुरु के चार दिन तक शहद 20 ग्राम 120 ग्राम पानी में उबाल कर सुबह व शाम पिलाते हैं और इसके सिवा कोई गिजा नही दी जाती, इसके इस्तेमाल से मरीज़ की कुव्वत काइम रहती है।

बकरी के 200 ग्राम ताज़ा दूध में 30 ग्राम शहद मिला कर रोज़ सुब्ह को पियें और रोजाना थोड़ा थोड़ा दूध और शहद बढ़ाते रहें यहां तक कि एक लीटर तक पहुँच जाए, इससे कब्ज़ दूर होता है और खून साफ हो जाता है, साथ ही बदन में ताक़त आती है और उसकी परवरिश होती है।

शहद हर क़िस्म की गन्दगी को दूर करता है चुनांचि सुहागा दो रत्ती (25 मि0ली0) शहद 10 ग्राम में मिला कर मुँह में लगाने से मुँह के जख़्म अच्छे हो जाते हैं। अगर मुँह से बदबू आती हो तो वह भी दूर हो जाती है।

बच्चों के दाँत निकलने में या मसूढ़े सूजे हों तो सुहागा शहद में मिलाकर मसूढ़ों पर मलने से सूजन दूर हो जाती है। और दाँत जल्द निकल आते हैं।

शहद 100 ग्राम को मुलेठी 20 ग्राम, सुहागा भुना हुआ 10 ग्राम के साथ बारीक पीस कर मिलाएं और 5–5 ग्राम दिन में दो तीन बार चाटें जो खांसी के लिए लाभदायक है।

गले–सड़े जख़्मों पर शहद लगाने से ज़ख़्म मैल–कुचैल से साफ होकर जल्द अच्छा हो जाता है।

नीम के हरे पत्ते 20 ग्राम, सुहागा 3 ग्राम, शहद 20 ग्राम को 200 ग्रम पानी में उबाल कर छान लें और इस पानी से कान को पिचकारी से धोएं कान पीप आदि से साफ हो जाएगा लेकिन पिचकारी जानकार ही इस्तेमाल करे, पिचकारी का ज़ोर पड़ने पर नुक्सान हो सकता है।

खालिस शहद सलाई से आँखों में लगाएं, आँखों के साफ करने और बीनाई को बढ़ाने के लिए लाभदायक है।

शहद और प्याज़ का रस दो–दो बून्द मिला कर सुब्ह–शाम आँख में टपकाएं या सलाई से लगाएं यह रतौन्ध, धुन्ध और आँखों की खुजली के लिए लाभदायक है।

❑❑

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

— डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

सांसद निधि पाँच करोड़-

योजना आयोग के उपाध्यक्ष के ऐतराज को दरकिनार कर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सांसदों की माँग स्वीकारते हुए सांसद निधि की धनराशि दो करोड़ सालाना से बढ़ा कर पाँच करोड़ रूपए करने का ऐलान किया। मुखर्जी ने आम लोगों को उम्मीद बँधाते हुए संकेत दिया कि कर प्रस्तावों की समीक्षा कर स्वास्थ्य सेवाओं को टैक्स के दायरे से बाहर कर सकते हैं। उन्होंने किसानों के तर्ज पर ही मछुआरों और मछली पालन करने वालों को चार फीसदी की दर पर बैंक से कर्ज मुहैया कराने की घोषणा की।

बाबरी विध्वंस ने छवि खराब की: आडवाणी- बाबरी मस्जिद ध्वंस और इसके कारण भाजपा को हुए नुकसान के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के कारण भाजपा की विश्वसनीयता बुरी तरह धूमिल हुई थी। अपने ब्लॉग के नए पोस्ट में आडवाणी ने कहा कि कुछ सहकर्मियों ने उनके उस लेख की आलोचना की थी जिसे उन्होंने मस्जिद गिराए जाने के एक हफ्ते बाद एक अख़बार के लिए लिखा था।

इस लेख में आडवाणी ने कहा था किं जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वह दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। आडवाणी के अनुसार उनके सहयोगियों ने उनकी आलोचना के अलावा यह प्रश्न भी पूछा था कि वह इन चीजों के लिए क्षमाप्रार्थी क्यों थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, मैं क्षमाप्रार्थी नहीं हूँ। अयोध्या आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए निश्चित तौर पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ लेकिन मैं इसको लेकर बहुत दुखी हूँ कि छः दिसम्बर की घटना से पार्टी की विश्वसनीयता बुरी तरह धूमिल हुई है।

अपने लेख को याद करते हुए आडवाणी ने कहा कि आंदोलन में जो संस्थाएं भाग ले रही थीं उन्हें इस बात का दोषी ठहराया जा सकता है कि उन्होंने आंदोलन में शामिल लोगों की अधीरता को समझने में गलती की, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए शायद वह संस्थाएं ज़िम्मेदार नहीं थीं।

अफगानिस्तान में अभियान बंद करें नॉटो: करजई- अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने नॉटो से कहा कि वह उनके देश में अपना अभियान बन्द करे। करजई ने यह भावुक अपील एक हफ़्ते पहले उस घटना के संदर्भ में की है, जिसमें विदेशी बलों के हाथों उनके एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी। उन्होंने नॉटो के एक हमले में नौ बच्चों के मारे जाने को लेकर अमेरिकी सैन्य कमांडर जनरल डेविड पेट्रियास की माफी भी ठुकरा दी।

पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रान्त में मारे गए बच्चों के परिजनों से मिलने के बाद करजई ने कहा कि मैं नॉटो और अमेरिका से विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि वह हमारी सरज़मीं में अपने अभियान को बन्द करने में हठधर्मिता न दिखाए। हम लोग काफी सहनशील हैं, अब सब्र का बाँध टूट गया है।

❑❑